प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों की सूचना

Individuals with Disabilities Education Act (अशक्त व्यक्तियों हेतु शिक्षा अधिनियम, यानि IDEA) के भाग बी के अधीन

ध्यान दें: स्कूल डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक ज़िक्र में उत्तरदायी सार्वजनिक एजेंसी भी शामिल की जाती है।

विषय सूची

सामान्य सूचनाएं 1

पूर्व लिखित सूचना 1

मातृ-भाषा 2

इलेक्ट्रॉनिक मेल 3

माता-पिता की सहमति - परिभाषा 3

माता-पिता की सहमति 4

स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन 7

सूचनाओं की गोपनीयता 9

परिभाषाएं 9

व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचनाएं 10

माता-पिताओं को सूचना देना 10

पहुँच के अधिकार 11

पहुँच के अधिकारों का अभिलेख 11

एक से अधिक बच्चों से संबंधित दस्तावेज़ 12

जानकारी के प्रकारों और स्थानों की सूची 12

शुल्क 12

माता-पिता के अनुरोध पर दस्तावेज़ों का संशोधन 12

सुनवाई के अवसर 13

सुनवाई की प्रक्रियाएं 13

सुनवाई के नतीजे 13

व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचना के खुलासे के लिए सहमति 14

सुरक्षा उपाय 15

सूचना नष्ट करना 15

राजकीय शिकायत की प्रक्रियाएं 16
समुचित प्रक्रिया सुनवाई शिकायत और राजकीय शिकायत की प्रक्रियाओं के बीच अंतर 16
राजकीय प्रक्रिया शिकायतों का अंगीकरण 16
न्यूनतम राजकीय शिकायत प्रक्रियाएं 17
राजकीय शिकायत दर्ज कराना 19

समुचित प्रक्रिया शिकायत की प्रक्रियाएं 20
समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज कराना 20
समुचित प्रक्रिया शिकायत 21
मॉडल प्रपत्र 23
मध्यस्थता 23
समाधान प्रक्रिया 26

समुचित प्रक्रिया शिकायतों पर सुनवाईयां 28
निष्पक्ष समुचित प्रक्रिया सुनवाई 28
सुनवाई के अधिकार 30
सुनवाई के निर्णय 31

अपीलें 32
निर्णय का अंतिम होना; अपील; निष्पक्ष समीक्षा 32
सुनवाईयों और समीक्षाओं की समय-सीमाएं तथा सुविधा 32
दीवानी कार्रवाइयां, जिनमें इन कार्रवाइयों को दायर करने की समयावधि शामिल है 33
समुचित प्रक्रिया शिकायत और सुनवाई के लंबित रहने के दौरान बच्चे का स्कूल बदलना 34
वकीलों के शुल्क 35

अशक्तताओं वाले बच्चों को अनुशासित करने के समय प्रक्रियाएं 37
स्कूल कर्मचारियों के अधिकार 37
अनुशासनिक निष्कासनों के कारण स्कूल में परिवर्तन 41
परिवेश का निर्धारण 42
अपील 42
अपीलों के दौरान स्कूल का परिवर्तन 43
अब तक विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के लिए योग्य न होने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा 44
कानून प्रवर्तन तथा कानूनी अधिकारियों के समक्ष मामले को पेश करना और उनके द्वारा उठाए गए कदम 45

सार्वजनिक खर्च पर बच्चे को एकपक्षीय रूप से माता-पिता द्वारा प्राइवेट स्कूल में भेजे जाने की आवश्यकताएं 46
सामान्य 46

सामान्य सूचनाएं

पूर्व लिखित सूचना

34 CFR §300.503

सूचना

स्कूल डिस्ट्रिक्ट की ओर से आपको उचित समय के भीतर लिखित सूचना मिलना आवश्यक है (आपको कुछ जानकारियां लिखित में दी जानी चाहिए), इससे पहले कि वह:

1. आपके बच्चे की पहचान, मूल्यांकन, या शैक्षणिक स्थिति, या बच्चे को उपयुक्त नि:शुल्क सार्वजनिक शिक्षा (एफ़एपीई) देने के विषय में कोई कार्य आरंभ करे या कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करे; **या**
2. आपके बच्चे की पहचान, मूल्यांकन, या शैक्षणिक स्थिति, या बच्चे को एफ़एपीई देने के विषय में कोई कार्य आरंभ या परिवर्तित करने से इंकार करे।

सूचना की विषय-वस्तु

लिखित सूचना में यह आवश्यक है कि:

1. स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रस्तावित या मना किए गए कार्य का विवरण दिया जाए;
2. आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रस्तावित या मना किए गए कार्य की वजह समझायी जाए;
3. प्रत्येक ऐसी मूल्यांकन प्रक्रिया, आकलन, आभिलेख या रिपोर्ट की व्याख्या दी जाए जिसके आधार पर स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने उस कार्य को अपनी हामी या मनाही दी हो;
4. एक ऐसा बयान शामिल हो जिसमें यह बताया जाए कि IDEA के भाग बी के अधीन आपको प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं;
5. अगर आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रस्तावित या मना किया गया कार्य मूल्यांकन की पहली संस्तुति न हो, तो आपको बताया जाए कि प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों की व्याख्या आपको कैसे मिल सकती है;
6. IDEA के भाग बी को समझाने वाले संसाधनों को शामिल किया जाए ताकि मदद चाहने पर आप उनसे संपर्क कर सकें;
7. आपके बच्चे की वैयक्तिक शिक्षा टीम (आईईपी) द्वारा विचार किए गए किन्हीं अन्य विकल्पों की व्याख्या और इन विकल्पों को न अपनाए जाने की वजह दी जाए; **तथा**

8. उन अन्य वजहों का विवरण दिया जाए जिनके कारण आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने उस कार्य का प्रस्ताव किया या उसे इंकार किया।

सूचना की भाषा समझने लायक होनी चाहिए

यह आवश्यक है कि सूचना:

1. ऐसी भाषा में लिखी जाए जिसे आम जनता समझ सके; **और**
2. आपकी मातृ-भाषा या आप द्वारा प्रयुक्त अन्य संचार माध्यम में आपको दी जाए, जब तक कि ऐसा करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो.

यदि आपकी मातृ-भाषा या संचार का अन्य माध्यम कोई लिखित भाषा न हो, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

1. आपकी मातृ-भाषा में या अन्य संचार माध्यम द्वारा आपके लिए अथवा किसी अन्य आशय हेतु इस सूचना का मौखिक अनुवाद करा दिया गया है;
2. आप सूचना की विषय-वस्तु को समझते हैं; **और**
3. उसके पास इस बात का लिखित सबूत है कि शर्तें 1 और 2 पूरी की जा चुकी हैं।

मातृ-भाषा

34 CFR §300.29

मातृ-भाषा, जब किसी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में प्रयोग किया जाए जिसकी अंग्रेज़ी की दक्षता सीमित है, का अर्थ होगा:

1. उस व्यक्ति द्वारा साधारणतः प्रयोग की गई भाषा, या किसी बच्चे की बात हो, तो उस बच्चे के माता-पिता द्वारा साधारणतः प्रयोग की गई भाषा ;
2. बच्चे के साथ सभी सीधे संपर्कों में (इसमें बच्चे का मूल्यांकन भी शामिल होगा), बच्चे द्वारा उसके घर या शिक्षण वातावरण में साधारण रूप से प्रयोग की गई भाषा।

जो व्यक्ति बहरा या अंधा है, या जिस व्यक्ति की कोई लिखित भाषा न हो, उसके साथ वही संचार माध्यम इस्तेमाल किया जाएगा जो वह व्यक्ति साधारण रूप से प्रयोग करता है (जैसे कि संकेतों वाली भाषा, ब्रेल या मौखिक संचार)।

इलेक्ट्रॉनिक मेल

34 CFR §300.505

यदि आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट अभिभावकों को ई-मेल द्वारा दस्तावेज़ों को प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराता है, तो आप निम्नतिखित सूचनाओं को ई-मेल द्वारा प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं:

1. पूर्व लिखित सूचना;
2. प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों की सूचना; **<u>और</u>**
3. समुचित प्रक्रिया शिकायत संबंधी सूचना।

माता-पिता की सहमति - परिभाषा

34 CFR §300.9

सहमति

सहमति शब्द का अर्थ है कि:

1. आप जिस कार्य के लिए सहमति दे रहे हैं, उसके बारे में आपको अपनी मातृ-भाषा में या अन्य संचार माध्यम (जैसे कि संकेतों वाली भाषा, ब्रेल या मौखिक संचार) द्वारा पूर्ण जानकारियां दे जा चुकी हैं।
2. आप उस कार्य को समझते हैं और लिखित में उसके लिए अपनी सहमति देते हैं, व सहमति पत्र में उस कार्य का विवरण दिया जाता है और यह बताया जाता है कि किन अभिलेखों (यदि हों तो) को किन व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा; **<u>तथा</u>**
3. आप समझते हैं कि सहमति देना आपकी इच्छा पर निर्भर है और यह कि आप किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकते हैं।

यदि आप, आपके बच्चे द्वारा विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्राप्त करना शुरू करने के बाद अपनी सहमति रद्द (निरस्त) करना चाहते हैं तो आपको ऐसा लिखित रूप में करना जरूरी है। यदि आपने अपनी सहमति वापस ली तो समझ लें कि सहमति देने के बाद और इसे वापस लेने से पहले जो क्रियाएं हो चुकी हैं उन्हें नकारा (पूर्ववत करना) नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, स्कूल डिस्ट्रिक्ट को कोई संदर्भ कि आपके बच्चे ने आपकी सहमति रद्द करने के बाद विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्राप्त की, को हटाने के लिए आपके बच्चे के शैक्षणिक रिकॉर्ड में कोई बदलाव (परिवर्तन) करने की जरूरत नहीं है।

माता-पिता की सहमति

34 CFR §300.300

आरंभिक मूल्यांकन की सहमति

पूर्व लिखित सूचना *और* ***माता-पिता की सहमति*** नामक शीर्षक के अंतर्गत बताया गया है कि प्रस्तावित कार्य के लिए पहले से लिखित सूचना दिए बिना तथा आपकी सहमति प्राप्त किए बिना, स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपके बच्चे का आरंभिक मूल्यांकन नहीं कर सकता है और न ही यह निश्चित कर सकता है कि वह IDEA के भाग बी के तहत विशेष शिक्षा व इससे जुड़ी सेवाओं के लिए पात्र है।

यह निश्चित करने के लिए कि आपके बच्चे को कोई अशक्तता है, आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट को आपसे आरंभिक मूल्यांकन हेतु सुबोध सहमति प्राप्त करने की तर्कसंगत चेष्टा करनी होगी।

आरंभिक मूल्यांकन के लिए अपनी सहमति देने का यह अर्थ नहीं होता कि आप स्कूल डिस्ट्रिक्ट को अपने बच्चे के लिए विशेष शिक्षा या इससे जुड़ी सेवाएं आरंभ कर देने की सहमति दे रहे हैं।

अगर आपके बच्चे का नाम किसी पब्लिक में लिखा हुआ है या आप अपने बच्चे का नाम किसी पब्लिक स्कूल में लिखवाना चाहते हैं और आरंभिक मूल्यांकन के लिए अपनी सहमति देने से इंकार कर देते हैं, या आरंभिक मूल्यांकन के अनुरोध का कोई जवाब नहीं देते, तो आपके बच्चे का आरंभिक मूल्यांकन करवाने के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट इस अधिनियम की मध्यस्थता या समुचित प्रक्रिया शिकायत, समाधान बैठक, तथा निष्पक्ष समुचित प्रक्रिया सुनवाई की प्रक्रियाओं के जरिए करवाने की चेष्टा कर सकता है, यद्यपि ऐसा करना आवश्यक नहीं है (या राजकीय कानून के तहत, ऐसा करना आवश्यक या निषेध है)। जब तक कि राजकीय कानून के अनुसार मूल्यांकन करवाना आवश्यक न हो, इन परिस्थितियों में यदि स्कूल डिस्ट्रिक्ट मूल्यांकन नहीं करवाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने बच्चे के निर्धारण, पहचान तथा मूल्यांकन में किसी कानून का उल्लंघन किया।

सरकार द्वारा आश्रित बच्चों के आरंभिक मूल्यांकन के लिए खास नियम

यदि बच्चा सरकार द्वारा आश्रित है और अपने माता-पिता के साथ नहीं रह रहा है, तो —

स्कूल डिस्ट्रिक्ट को माता-पिता से बच्चे की अशक्तता निश्चित करने वाले आरंभिक मूल्यांकन के लिए सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर:

1. उचित चेष्टा करने के बाद भी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट बच्चे के माता-पिता को खोजने में असमर्थ हो जाता है;
2. राजकीय कानून के अनुसार, माता-पिता के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है; **<u>या</u>**
3. न्यायाधीश (जज) ने माता-पिता को नहीं, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को शिक्षण संबंधी निर्णयों तथा आरंभिक मूल्यांकन की सहमति देने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है।

IDEA के अंतर्गत, *सरकार द्वारा आश्रित* उस बच्चे को कहते हैं जो अपने राज्य के कानून के अनुसार:

1. पोष्य बालक (फ़ॉस्टर चाइल्ड) है;
2. राजकीय कानून के अनुसार सरकार द्वारा आश्रित समझा जा सकता है; **या**
3. किसी बाल कल्याण एजेंसी की अभिरक्षा में है।

इसमें एक अपवाद है जिसके बारे में आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। सरकार द्वारा आश्रित बच्चे में पोष्य बालक शामिल नहीं होता जिसके पालक माता-पिता हों जो आईडीईए में प्रयुक्त अभिभावक की परिभाषा को पूरा करते हों।

सेवाओं के लिए माता-पिता की सहमति

आपके बच्चे को पहली बार विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने से पहले स्कूल डिस्ट्रिक्ट को आपसे सुबोध सहमति ले लेना आवश्यक है।

आपके बच्चे को पहली बार विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने से पहले स्कूल डिस्ट्रिक्ट को आपसे सुबोध सहमति लेने की तर्कसंगत चेष्टा करना आवश्यक है।

आपके बच्चे को पहली बार विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने की सहमति के अनुरोध का यदि आप जवाब नहीं देते, या यदि आप ऐसी सहमति देने से इंकार कर देते हैं अथवा बाद में लिखित रूप में अपनी सहमति वापस (रद्द) ले लेते हैं तो आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपकी सहमति प्राप्त करने के लिए, या आपकी सहमति के अभाव में (आपके बच्चे की आईईपी टीम की संस्तुतियों के अनुसार) आपके बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए, प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों (जैसे कि मध्यस्थता, समुचित प्रक्रिया शिकायत, समाधान बैठक या निष्पक्ष प्रक्रिया सुनवाई) के आधार पर लिए गए किसी कानूनी निर्णय का प्रयोग नहीं कर सकता है।

यदि आप अपने बच्चे को पहली बार विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने की सहमति देने से इंकार कर देते हैं, या सहमति के अनुरोध का यदि आप जवाब नहीं देते अथवा बाद में लिखित रूप में अपनी सहमति वापस (रद्द) ले लेते हैं और आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपके बच्चे को वह विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं नहीं दे पाता है जिसके लिए उसने आपसे सहमति मांगा था, तो ऐसी परिस्थिति में आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट:

1. आपके बच्चे को नि:शुल्क उचित सार्वजनिक सेवा (एइएपीई) उपलब्ध कराने की आवश्यकता तथा उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता का हनन नहीं करता है; **और**
2. जिस विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के लिए आपकी सहमति मांगी गई थी, उसके लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट को किसी वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम (आईईपी) बैठक को व्यवस्थित या विकसित करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।

यदि आप, आपके बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं दिए जाने के बाद किसी भी बिंदु पर लिखित रूप में अपनी सहमति रद्द (निरस्त) करते हैं तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऐसी सेवाएं देना जारी नहीं भी

रख सकता है, लेकिन उन सेवाओं को समाप्त करने से पहले आपको पूर्व लिखित सूचना देना जरूरी है, जोकि **पूर्व लिखित सूचना** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित है।

पुन:मूल्यांकन करने के लिए माता-पिता की सहमति

आपके बच्चे का पुन:मूल्यांकन करने से पहले, स्कूल डिस्ट्रिक्ट को आपसे सुबोध सहमति मांगना आवश्यक है, जब तक कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट यह न साबित कर सके कि:

1. उसने आपके बच्चे का पुन:मूल्यांकन करने के लिए आपकी सहमति लेने की तर्कसंगत चेष्टा की थी; **<u>और</u>**
2. आपने जवाब नहीं दिया।

यदि आप अपने बच्चे के पुन:मूल्यांकन को अपनी सहमति देने से इंकार कर देते हैं, तो यह संभव है कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट मध्यस्थता, समुचित प्रक्रिया शिकायत, समाधान बैठक या निष्पक्ष प्रक्रिया सुनवाई के जरिए बच्चे के पुन:मूल्यांकन के मामले में सहमति देने की आपकी मनाही को रद्द करवाने का प्रयास करे, हालांकि ऐसा करना आवश्यक नहीं है। आरंभिक मूल्यांकनों की तरह, यदि आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार पुन:मूल्यांकन का अनुसरण नहीं करना चाहे, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने IDEA के भाग बी के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।

माता-पिता से सहमति प्राप्त करने की तर्कसंगत चेष्टा के कागज़ात

आरंभिक मूल्यांकनों के लिए माता-पिता की सहमति प्राप्त करने, पहली बार विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने, दुबारा मूल्यांकन करने, तथा आरंभिक मूल्यांकनों के लिए सरकारी आश्रितों के माता-पिता की खोज करने में की गई तर्कसंगत चेष्टाओं से संबंध रखने वाले कागज़ात स्कूल में उपलब्ध रहने चाहिए। दस्तावेज़ों में इन विषयों पर स्कूल डिस्ट्रिक्ट के प्रयासों का इतिहास शामिल होना चाहिए, जैसे कि:

1. टेलिफ़ोन द्वारा संपर्क करने या संपर्क स्थापित करने के प्रयासों का ब्योरा, तथा इनका नतीजा;
2. अभिभावकों को भेजे गए खतों और किन्हीं प्रत्युत्तरों की प्रतियां; **<u>और</u>**
3. माता-पिता के घर या कार्यालय पर उनसे मुलाकात करने के प्रयासों का ब्योरा, तथा इन मुलाकातों का नतीजा।

सहमति की अन्य आवश्यकताएं

आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट को आपकी सहमति मांगने की आवश्यकता नहीं होगी यदि वह:

1. आपके बच्चे के मूल्यांकन या पुन:मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत मौजूदा आंकड़ों की समीक्षा कर रहा है; **<u>या</u>**

2. आपके बच्चे को कोई ऐसी परीक्षा या मूल्यांकन दे रहा है जो सभी बच्चे ले रहे हैं, जब तक कि उस परीक्षा या मूल्यांकन के लिए सभी बच्चों के अभिभावकों से सहमति लेने की आवश्यकता न हो।

स्कूल डिस्ट्रिक्ट की किसी सेवा या क्रियाविधि को यदि आपने सहमति देने से इंकार कर दिया, तो इसके आधार पर वह आपको या आपके बच्चे को किसी दूसरी सेवा, लाभ या क्रियाविधि में भाग लेने से इंकार नहीं कर सकता है।

यदि आप अपने खर्च पर अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या यदि आप अपने बच्चे को घर पर पढ़ा रहे हैं, और आप अपने बच्चे के आरंभिक मूल्यांकन या पुन:मूल्यांकन के लिए अपनी सहमति नहीं देते, या सहमति मांगे जाने पर कोई उत्तर नहीं देते, तो यह संभव है कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट सहमति रद्द करने वाली अपनी विवाद समाधान प्रक्रियाओं (यानि मध्यस्थता, समुचित प्रक्रिया शिकायत, समाधान बैठक या निष्पक्ष प्रक्रिया सुनवाई) को क्रियान्वित न करे। इसके बाद आपके बच्चे को स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा न्यायसंगत सेवाओं (वह सेवाएं जो प्राइवेट स्कूल में माता-पिता द्वारा पढ़ाए जाने वाले अशक्त बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं) के लिए पात्र समझे जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन

34 CFR §300.502

आम जानकारियां

जैसा कि आगे बताया गया है, यदि आप अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्राप्त किए गए मूल्यांकन से असहमत हैं, तो आपको अपने बच्चे का एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन (आईईई) करवाने का अधिकार बनता है।

यदि आपने स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन का अनुरोध किया, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट को आपको इस बात की जानकारी देनी होगी कि आप स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन कहां से प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही यह भी बताना होगा कि स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकनों के विषय में स्कूल डिस्ट्रिक्ट की क्या शर्तें हैं।

परिभाषाएं

स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन का अर्थ है किसी ऐसे योग्यता प्राप्त परीक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन जो आपके बच्चे को शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल डिस्ट्रिक्ट का कर्मचारी नहीं है।

सार्वजनिक खर्च का अर्थ है कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट पर इस मूल्यांकन का या तो सारा आर्थिक बोझ डाला जाएगा, या वह आपसे किसी प्रकार का खर्च कराए बिना आपको यह मूल्यांकन प्राप्त करवाएगा। IDEA के भाग बी के अनुकूल, इस अधिनियम के भाग बी की आपूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य को सारे उपलब्ध राजकीय, स्थानीय, संघीय तथा निजी संसाधनों का प्रयोग करने की अनुमति है।

माता-पिता को सार्वजनिक खर्च पर मूल्यांकन प्राप्त करने का अधिकार

यदि आप स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा किए गए मूल्यांकन से सहमत नहीं हैं, तो आपको सार्वजनिक खर्च पर एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन करवाने का अधिकार बनता है, बशर्ते कि:

1. यदि आप सार्वजनिक खर्च पर अपने बच्चे का एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन करवाने का अनुरोध करते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट को, बिना किसी अनुचित विलंब के, या तो: (क) सुनवाई का अनुरोध करने के लिए एक समुचित प्रक्रिया शिकायत दायर करना पड़ेगा जिसमें वह यह दिखाने का प्रयास करेगा कि आपके बच्चे के मामले में उसका मूल्यांकन उचित है; **या** (b) सार्वजनिक खर्च पर एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन उपलब्ध कराना पड़ेगा, जब तक कि किसी सुनवाई में स्कूल डिस्ट्रिक्ट यह नहीं साबित कर पाता है कि आप द्वारा प्राप्त किया गया मूल्यांकन स्कूल डिस्ट्रिक्ट की शर्तों को पूरा नहीं करता।
2. यदि स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने सुनवाई का अनुरोध किया, और सुनवाई का अंतिम निर्णय यह निकला कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा किए गए आपके बच्चे का मूल्यांकन उचित है, तो भी आपको स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन करवाने का अधिकार बनता है, परन्तु सार्वजनिक खर्च पर नहीं।
3. यदि आप अपने बच्चे का एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन करवाने का अनुरोध करते हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ सकता है कि आप उसके मूल्यांकन से क्यों आपत्ति जता रहे हैं। फिर भी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपसे कोई बयान नहीं मांग सकता, और सार्वजनिक खर्च पर आपके बच्चे का स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन करवाने या स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा किए गए आपके बच्चे के मूल्यांकन की उपयुक्तता साबित करने के लिए समुचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध दायर करने में अनावश्यक विलंब नहीं कर सकता है।

प्रत्येक बार जब आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपके बच्चे का कोई ऐसा मूल्यांकन करता है जिससे आप असहमत होते हैं, तो सार्वजनिक खर्च पर आप अपने बच्चे का केवल एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन करवा सकते हैं।

माता-पिता द्वारा आरंभ किए गए मूल्यांकन

यदि आपने सार्वजनिक खर्च पर अपने बच्चे का एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन करवाया, या निजी खर्च पर करवाए गए अपने बच्चे का कोई मूल्यांकन स्कूल डिस्ट्रिक्ट के साथ आवंटित किया तो:

1. आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट को आपके बच्चे के मूल्यांकन के नतीजों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नि:शुल्क सार्वजनिक शिक्षा प्रदाय (एफएपीई) के बारे में निर्णय लेना पड़ेगा, अगर यह मूल्यांकन स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकनों हेतु निर्धारित शर्तों के अनुकूल है; **और**
2. आपके बच्चे के विषय में जो समुचित प्रक्रिया सुनवाई होगी उसके दौरान आप या आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट की ओर से इस मूल्यांकन को साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सकता है

सुनवाई अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन का अनुरोध

यदि सुनवाई अधिकारी से समुचित प्रक्रिया सुनवाई के अंतर्गत आपके बच्चे का स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन करवाने का अनुरोध मिलता है, तो इस मूल्यांकन को सार्वजनिक खर्च पर करवाया जाएगा।

स्कूल डिस्ट्रिक्ट की शर्तें

यदि स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन को सार्वजनिक खर्च पर करवाया गया, तो मूल्यांकन प्राप्त करने की शर्तें, जैसे कि मूल्यांकन की जगह, परीक्षक की योग्यता आदि, वही होंगी जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट पर लागू होती हैं जब स्कूल डिस्ट्रिक्ट कोई मूल्यांकन शुरू करता है (जहां तक कि यह शर्तें आप द्वारा स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन प्राप्त करने के अधिकार के अनुकूल हैं)।

उपरोक्त शर्तों को छोड़ कर, स्कूल डिस्ट्रिक्ट सार्वजनिक खर्च पर प्राप्त किसी स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन के ऊपर कोई भी दूसरी शर्तें या समय-सीमाएं नहीं लगा सकता है।

सूचनाओं की गोपनीयता

परिभाषाएं

34 CFR §300.611

जैसे की **सूचनाओं की गोपनीयता** शीर्षक के अंतर्गत बताया गया है:

- *नष्ट करने* का अर्थ हुआ कि सूचनाएं या तो नष्ट कर दी जाएंगी, या उनमें से व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचनाओं को हटा दिया जाएगा ताकि इन सूचनाओं से किसी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जा सके।
- *शैक्षणिक अभिलेखों* में वह सारे अभिलेख शामिल हैं जिन्हें 34 CFR भाग 99 (पारिवारिक शैक्षणिक अधिकारों और निजता अधिनियम 1974, 20 U.S.C. 1232g (एफईआरपीए) को क्रियान्वित करने वाले नियम) में ''शैक्षणिक अभिलेखों'' की परिभाषा में शामिल हैं।
- *भाग ले रही एजेंसी* का अर्थ है ऐसी कोई भी एजेंसी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट या संस्था जो व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचनाएं संग्रहित, भंडारित या प्रयोग करती है, या जिससे IDEA के भाग बी के अधीन, जानकारियां प्राप्त की जाती हैं।

व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचनाएं

34 CFR §300.32

व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचनाएं ऐसी सूचनाएं होती हैं जिसमें:

(a) आपके बच्चे का नाम, माता-पिता होने के नाते आपका नाम, या परिवार के किसी दूसरे सदस्य का नाम होता है;

(b) आपके बच्चे का पता होता है;

(c) व्यक्तिगत पहचान देने वाली कोई सूचना, जैसे कि आपके बच्चे का सोशल सिक्युरिटी नंबर या विद्यार्थी नंबर होती है; **या**

(d) व्यक्तिगत लक्षणों या अन्य जानकारियों की कोई ऐसी सूची होती है जिसके आधार पर आपके बच्चे की पहचान कर लेना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है।

माता-पिताओं को सूचना देना

34 CFR §300.612

राजकीय शैक्षणिक एजेंसी की ओर से व्यक्तिगत पहचान कर सकने वाली सूचनाओं के विषय में अभिभावकों को पूर्ण रूप से सूचित कर देना आवश्यक है, जैसे कि:

1. राज्य के भिन्न समूहों द्वारा बोली गई मातृ भाषाओं में जिस हद तक सूचना दी गई, उसकी व्याख्या;
2. जिन बच्चों की व्यक्तिगत पहचान दे सकने वाली जानकारियां रखी जाती हैं, जिस प्रकार की जानकारी खोजी जाती है, जानकारी एकत्रित करने में राज्य जिन विधियों का प्रयोग करने वाला है (जिन स्रोतों से जानकारी इकट्ठी की जाती है, उन्हें भी शामिल करना चाहिए), तथा जानकारी जिन लक्ष्यों के लिए उपयोग की जाएगी, इन सब की व्याख्या;
3. उन नीतियों तथा प्रक्रियाओं का सार जिनका अनुपालन करना भाग लेने वाली एजेंसियों के लिए अनिवार्य है, जैसे कि व्यक्तिगत पहचान देने वाली सूचनाओं का भंडारण, तृतीय पक्षों को खुलासा, रख-रखाव और नाशन; **और**
4. इन सूचनाओं के मामले में बच्चों तथा अभिभावकों के सभी अधिकारों की व्याख्या, जिसमें पारिवारिक शैक्षणिक अधिकारों और निजता अधिनियम (एफईआरपीए) तथा 34 CFR भाग 99 के अधीन उसके क्रियान्वयन के अधिकार भी शामिल हैं।

विशेष शिक्षा व संबंधित सेवाओं की आवश्यकता रखने वाले बच्चों की मुख्य पहचान, निर्धारण, या मूल्यांकन क्रियाविधि (इसे "चाइल्ड फ़ाइन्ड" के नाम से भी पुकारा जाता है) से पहले, सूचना को अखबारों या अन्य संचार माध्यमों, या दोनों में प्रकाशित करना आवश्यक है। इन अखबारों या संचार माध्यमों का इतना प्रसार होना चाहिए कि इन क्रियाविधियों के बारे में राज्यभर के अभिभावकों को पता चल जाए।

पहुँच के अधिकार

34 CFR §300.613

भाग ले रही एजेंसी को आपको अपने बच्चे से संबंध रखने वाले किन्हीं भी शैक्षणिक दस्तावेजों, जिन्हें IDEA के भाग बी के अंतर्गत आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा संग्रहीत किया हो, रखा गया हो, या प्रयोग किया गया हो, की जांच और समीक्षा की अनुमति देनी होगी। भाग ले रही एजेंसी को अनावश्यक विलंब के बिना और वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम (आईईपी) से संबंधित किसी बैठक, या किसी निष्पक्ष समुचित प्रक्रिया सुनवाई (जिसमें समाधान बैठक या अनुशासन से संबंधित कोई सुनवाई शामिल है) से पहले अपने बच्चे से संबंधित किन्हीं भी शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच और समीक्षा करने के आपके अनुरोध का पालन करना होगा, और इसमें किसी भी स्थिति में आपके अनुरोध किए जाने के बाद 45 कैलेंडर दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

शैक्षणिक दस्तावेजों को जांचने और इनकी समीक्षा करने के आपके अधिकार में निम्न शामिल हैं:

1. दस्तावेजों के विस्तृत विवरणों और व्याख्याओं के लिए आपके तर्कसंगत अनुरोधों के प्रति भाग ले रही एजेंसी से प्रत्युत्तर पाने का आपका अधिकार;
2. यदि आप दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त किए बिना प्रभावशाली ढंग से इनकी जांच और समीक्षा नहीं कर सकते तो भाग ले रही एजेंसी से इनकी प्रतियां प्रदान करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार; **और**
3. अपने प्रतिनिधि को दस्तावेजों की जांच और समीक्षा करने देने का आपका अधिकार।

भाग ले रही एजेंसी यह मान सकती है कि आपके पास अपने बच्चे से संबंधित दस्तावेजों की जांच और समीक्षा करने का अधिकार है, बशर्ते कि उसे यह परामर्श न दिया गया हो कि माता-पितात्व, या अलग-अलग रहने और तलाक जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाले राजकीय कानूनों के अंतर्गत आपके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

पहुँच के अधिकारों का अभिलेख

34 CFR §300.614

भागीदार प्रत्येक एजेंसी को IDEA के भाग बी के अंतर्गत संग्रहीत किए गए, रखे गए, या प्रयोग किए गए शैक्षणिक दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त करने वाले पक्षों (माता-पिता और भागीदार एजेंसी के अधिकारप्राप्त कर्मचारियों को छोड़कर) का अभिलेख रखना होगा, जिसमें ये शामिल होंगे: पक्ष का नाम, पहुंच प्रदान करने की तिथि, और वह उद्देश्य जिसके लिए उस पक्ष को दस्तावेजों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया।

एक से अधिक बच्चों से संबंधित दस्तावेज़

34 CFR §300.615

यदि किसी भी शैक्षणिक दस्तावेज में एक से अधिक बच्चों से संबंधित जानकारी शामिल हो, तो उन बच्चों के माता-पिताओं को सिर्फ अपने बच्चे से संबंधित जानकारी की जांच और समीक्षा करने का अधिकार होगा या उन्हें सिर्फ उनके बच्चे से संबंधित जानकारी ही प्रदान की जाएगी।

जानकारी के प्रकारों और स्थानों की सूची

34 CFR §300.616

अनुरोध किए जाने पर, भागीदार प्रत्येक एजेंसी आपको एजेंसी द्वारा संग्रहीत, रखे गए, या प्रयुक्त शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रकारों और स्थानों की एक सूची प्रदान करेगी।

शुल्क

34 CFR §300.617

भागीदार प्रत्येक एजेंसी IDEA के भाग बी के अंतर्गत आपके लिए तैयार की गई दस्तावेजों की प्रतियों के लिए शुल्क ले सकती है, बशर्ते कि यह शुल्क वास्तव में आपको इन दस्तावेजों की जांच और समीक्षा करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से न रोकता हो।

भागीदार कोई एजेंसी IDEA के भाग बी के अंतर्गत जानकारी की तलाश करने या इसे निकालने के लिए शुल्क नहीं ले सकती।

माता-पिता के अनुरोध पर दस्तावेज़ों का संशोधन

34 CFR §300.618

यदि आपको लगता है कि IDEA के भाग बी के अंतर्गत आपके बच्चे से संबंधित संग्रहीत, रखे गए, या प्रयुक्त शैक्षणिक दस्तावेजों में दी गई जानकारी गलत, भ्रामक, या आपके बच्चे की निजता या अन्य अधिकारों का हनन करने वाली है, तो आप जानकारी का रख-रखाव कर रही भागीदार एजेंसी से जानकारी को बदलने का अनुरोध कर सकते हैं।

भाग लेने वाली एजेंसी को यह तय करना होगा कि आपकी अनुरोध-प्राप्ति के उचित समय के भीतर आपके अनुरोध के अनुसार जानकारी में परिवर्तन किया जाए या नहीं।

यदि भागीदार एजेंसी आपके अनुरोध के अनुसार जानकारी में बदलाव करने से इंकार कर देती है, तो यह आपको इंकार की सूचना देगी और इस उद्देश्य के लिए आपको ***सुनवाई के अवसर*** शीर्षक के अंतर्गत व्याख्यायित सुनवाई के अधिकार का प्रयोग करने की सलाह देगी।

सुनवाई के अवसर

34 CFR §300.619

अनुरोध करने पर, भागीदार एजेंसी निश्चित ही आपको अपने बच्चे के शैक्षणिक दस्तावेजों में दी गई जानकारी को चुनौती देने हेतु सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी ताकि सुनिश्चित हो सके कि यह गलत, भ्रामक, या अन्य किसी रूप में आपके बच्चे की निजता या अन्य अधिकारों का हनन करने वाली नहीं है।

सुनवाई की प्रक्रियाएं

34 CFR §300.621

शैक्षणिक दस्तावेजों में दी गई जानकारी को चुनौती देने वाली किसी सुनवाई का संचालन पारिवारिक शैक्षणिक अधिकारों और निजता अधिनियम (एफईआरपीए) के अंतर्गत आने वाली इस तरह की सुनवाइयों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

सुनवाई के नतीजे

34 CFR §300.620

यदि, सुनवाई के नतीजे के तौर पर, भागीदार एजेंसी यह निर्णय करती है कि जानकारी गलत, भ्रामक, या अन्य किसी रूप में आपके बच्चे की निजता या अन्य अधिकारों का हनन करने वाली है, तो यह जानकारी को तदनुसार बदलेगी और आपको लिखित रूप में इसकी सूचना देगी।

यदि, सुनवाई के नतीजे के तौर पर, भागीदार एजेंसी यह निर्णय करती है कि जानकारी गलत, भ्रामक, या अन्य किसी रूप में आपके बच्चे की निजता या अन्य अधिकारों का हनन करने वाली नहीं है, तो यह

आपको अपने बच्चे से संबंधित उन दस्तावेजों को सामने लाने के आपके अधिकार की सूचना देगी, जिनमें दी गई जानकारी पर किए गए टिप्पणीमूलक कथन को यह बनाए रखती है, या भागीदार एजेंसी के निर्णय से आपकी असहमति के कारण बताने को कहेगी।

आपके बच्चे के दस्तावेजों में दी गई ऐसी व्याख्याओं को:

1. भागीदार एजेंसी द्वारा आपके बच्चे के दस्तावेजों के हिस्से के रूप में तब तक संभालकर रखा जाएगा जब तक भागीदार एजेंसी द्वारा दस्तावेज या संदर्भित हिस्से को संभालकर रखा जाता है; <u>और</u>
2. यदि भागीदार एजेंसी आपके बच्चे के दस्तावेजों या जिन हिस्सों पर चुनौती दी गई हो, उनका खुलासा किसी अन्य पक्ष के सामने करती है, तो उस पक्ष के सामने व्याख्या का खुलासा भी किया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचना के खुलासे के लिए सहमति

34 CFR §300.622

जब तक जानकारी शैक्षणिक दस्तावेजों में शामिल नहीं की जाती, और पारिवारिक शैक्षणिक अधिकारों और निजता अधिनियम (एफईआरपीए) के अंतर्गत माता-पिता की सहमति के बिना खुलासे को अधिकृत नहीं किया जाता, तब तक भागीदार एजेंसियों के कर्मचारियों के अलावा किन्हीं पक्षों के सामने व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचना का खुलासा करने से पहले आपकी सहमति प्राप्त की जाएगी। नीचे दी गई परिस्थितियों को छोड़कर, IDEA के भाग बी की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, भागीदार एजेंसियों के कर्मचारियों को व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचना जारी करने के लिए आपकी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

संक्रमण सेवा प्रदान करने वाली या इसके लिए भुगतान करने वाली भागीदार एजेंसियों के कर्मचारियों को व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचना जारी करने से पहले आपकी सहमति, या राज्य के कानून के अंतर्गत वयस्क आयु में पहुंच चुके योग्य बच्चे की सहमति अवश्य प्राप्त करना होगा।

यदि आपका बच्चा किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल में है, या जाने वाला है जो आपके आवासीय स्कूल जिले में स्थित नहीं है, तो आपके बच्चे के बारे में व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचना को उस प्राइवेट स्कूल के क्षेत्र के स्कूल डिस्ट्रिक्ट कर्मचारियों और आपके निवास स्थान के स्कूल डिस्ट्रिक्ट कर्मचारियों के बीच जारी करने से पहले आपकी सहमति प्राप्त करना जरूरी होगा।

सुरक्षा उपाय

34 CFR §300.623

प्रत्येक भागीदार एजेंसी को संग्रहण, भंडारण, खुलासा, और नष्ट करने की अवस्थाओं में व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचना को अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए।

भागीदार एजेंसी के एक कर्मचारी को व्यक्तिगत पहचान करने वाली किसी भी सूचना की गोपनीयता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचना का संग्रहण या प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को आपकी राजकीय नीतियों के संदर्भ में और IDEA के भाग बी तथा पारिवारिक शैक्षणिक अधिकारों और निजता अधिनियम (एफईआरपीए) के अंतर्गत गोपनीयता से संदर्भित प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण या निर्देश प्राप्त होना चाहिए।

प्रत्येक भागीदार एजेंसी को, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए, व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचना तक पहुंच प्राप्त कर सकने वाले एजेंसी में कार्यरत सभी कर्मचारियों के नाम और पदों की एक वर्तमान सूची रखनी चाहिए।

सूचना नष्ट करना

34 CFR §300.624

आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपके बच्चे को शैक्षणिक सेवाएं प्रदाने करने वाले व्यक्तिगत पहचान करने वाली सूचना के संग्रहण, रख-रखाव, या प्रयोग की आवश्यकता न रह जाने पर आपको इस बारे में सूचित करेगा।

आपके अनुरोध पर सूचना को नष्ट कर दिया जाएगा। फिर भी, आपके बच्चे का नाम, पता, और फोन नंबर, उसके ग्रेड, उपस्थिति, कक्षाओं में शामिल होने, ग्रेड लेवल पूरा कर लेने, और पूरा करने के वर्ष का एक स्थाई दस्तावेज अनिश्चित काल के लिए रखा जाता है।

राजकीय शिकायत की प्रक्रियाएं

समुचित प्रक्रिया सुनवाई शिकायत और राजकीय शिकायत की प्रक्रियाओं के बीच अंतर

IDEA के भाग बी हेतु अधिनियमों ने राजकीय शिकायत की प्रक्रियाओं और शिकायतों तथा सुनवाई की समुचित प्रक्रिया को अलग-अलग कर दिया है। जैसा कि नीचे बताया गया है, कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी स्कूल डिस्ट्रिक्ट, राजकीय शैक्षणिक एजेंसी या अन्य किसी सार्वजनिक एजेंसी द्वारा भाग बी की किन्हीं भी आवश्यकताओं के उल्लंघन के विरुद्ध एक राजकीय शिकायत दर्ज करा सकता है। जबकि आप या कोई स्कूल डिस्ट्रिक्ट किसी प्रस्ताव या पहलकदमी करने से इंकार करने या अशक्तता वाले किसी बच्चे की पहचान, मूल्यांकन या शैक्षणिक स्थान में परिवर्तन करने, या बच्चे को एक नि:शुल्क उचित सार्वजनिक शिक्षा (एफएपीई) देने के प्रावधान से संबंधित किसी भी मामले में एक समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राजकीय शैक्षणिक एजेंसी का स्टाफ एक राजकीय शिकायत को सामान्यत: 60 कैलेंडर-दिवस की समय-सीमा में हल करता है, जब तक कि समय-सीमा को उचित ढंग से न बढ़ाया गया हो, और किसी समुचित प्रक्रिया शिकायत की सुनवाई एक निष्पक्ष समुचित प्रक्रिया सुनवाई अधिकारी करेगा (यदि यह किसी समाधान बैठक या मध्यस्थता के द्वारा हल नहीं होती) और अगर आपके अनुरोध या स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अनुरोध पर सुनवाई अधिकारी समयावधि में एक निश्चित विस्तार प्रदान नहीं करता तो, इस दस्तावेज में समाधान प्रक्रिया शीर्षक के अंतर्गत किए गए वर्णन के अनुसार, समाधान अवधि के समाप्त होने के 45 कैलेंडर दिनों बाद एक लिखित निर्णय जारी करेगा। राजकीय शिकायत और समुचित प्रक्रिया शिकायत, समाधान और सुनवाई प्रक्रियाओं का वर्णन नीचे अधिक विस्तार के साथ किया गया है। राजकीय शैक्षणिक एजेंसी को समुचित प्रक्रिया शिकायत दाखिल करने में आपकी मदद के लिए मॉडल प्रपत्र विकसित करना चाहिए तथा आपको अथवा अन्य पक्षों को राजकीय शिकायत दाखिल करने में मदद करना चाहिए जिसका वर्णन ***मॉडल प्रपत्र*** शीर्षक में किया गया है।

राजकीय प्रक्रिया शिकायतों का अंगीकरण

34 CFR §300.151

सामान्य

प्रत्येक राजकीय शैक्षणिक एजेंसी के पास निम्न के लिए लिखित प्रक्रियाएं अवश्य होनी चाहिए:

1. किसी भी शिकायत को हल करने के लिए, जिसमें किसी अन्य राज्य से कोई शिकायत दर्ज करने वाले संगठन या व्यक्ति शामिल हैं;
2. राजकीय शैक्षणिक एजेंसी के साथ कोई शिकायत दर्ज करने के लिए;
3. माता-पिताओं और अन्य इच्छुक व्यक्तियों हेतु राजकीय शिकायत प्रक्रियाओं का व्यापक तौर पर प्रचार करने के लिए, जिसमें माता-पिता के लिए प्रशिक्षण और सूचना केंद्र, सुरक्षा और पक्षपोषण (वकालती) एजेंसियां, स्वतंत्र जीवन केंद्र, और अन्य उपयुक्त निकाय शामिल हैं।

उपयुक्त सेवाओं से इंकार करने हेतु उपचार

किसी राजकीय शिकायत, जिसमें राजकीय शैक्षणिक एजेंसी को उचित सेवाएं प्रदान करने में कोई चूक नजर आई हो, का समाधान करने के दौरान राजकीय शैक्षणिक एजेंसी निम्न मुद्दों को अवश्य ही संबोधित करती है:

1. उचित सेवाएं प्रदान करने में हुई चूक, जिसमें बच्चे की जरूरतों से संबंधित उचित नैदानिक कार्रवाइयां (जैसे क्षतिपूरक सेवाएं या वित्तीय अदायगी) शामिल हैं; **और**
2. अशक्तताओं वाले समस्त बच्चों के लिए सेवाओं के उचित भावी प्रावधान।

न्यूनतम राजकीय शिकायत प्रक्रियाएं

34 CFR §300.152

समय-सीमा; न्यूनतम प्रक्रियाएं

प्रत्येक राजकीय शैक्षणिक एजेंसी अपनी राजकीय शिकायत प्रक्रियाओं में निम्न हेतु किसी शिकायत के दर्ज किए जाने के 60 कैलेंडर दिनों की समय-सीमा अवश्य शामिल करती है :

1. एक स्वतंत्र यथा-स्थल जांच कार्य करना, यदि राजकीय शैक्षणिक एजेंसी यह तय करती कि कोई जांच आवश्यक है;
2. शिकायतकर्ता को शिकायत में लगाए गए अभियोग के बारे में अतिरिक्त जानकारी दाखिल करने, मौखिक या फिर लिखित रूप में, का अवसर प्रदान करें;
3. स्कूल डिस्ट्रिक्ट या अन्य सार्वजनिक एजेंसी को शिकायत का प्रत्युत्तर देने का अवसर प्रदान करें, जिसमें, न्यूनतम स्तर पर निम्न शामिल हैं: (क) एजेंसी के विकल्प पर, शिकायत को हल करने का एक प्रस्ताव; **और** (ख) शिकायत दर्ज करने वाले माता-पिता और एजेंसी को स्वैच्छिक रूप से चिंतन-मनन में लगने को तैयार होने के लिए एक अवसर;
4. समस्त प्रासंगिक जानकारी की समीक्षा करना और इस बारे में एक स्वतंत्र धारणा बनाना कि क्या स्कूल डिस्ट्रिक्ट या अन्य सार्वजनिक एजेंसी IDEA के भाग बी की किसी आवश्यकता का हनन कर रही है; **और**

5. शिकायतकर्ता को लिखित रूप में निर्णय जारी किया जाए जिसमें शिकायत के अंतर्गत आए प्रत्येक अभियोग को संबोधित किया गया हो और निम्न शामिल हो: (क) तथ्यों की तलाश और निष्कर्ष; **और** (ख) राजकीय शैक्षणिक एजेंसी के अंतिम निर्णय के लिए जिम्मेदार कारण।

समय-सीमा में बढ़ोत्तरी; अंतिम निर्णय; क्रियान्वयन

ऊपर वर्णित राजकीय शैक्षणिक एजेंसी की प्रक्रियाएं साथ ही निम्न भी करेंगी :

1. 60 कैलेंडर-दिवस की समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति प्रदान करेंगी, पर सिर्फ तभी जबकि : (क) किसी खास राजकीय शिकायत के संदर्भ में अपवादस्वरूप परिस्थितियां मौजूद हों; **या** (ख) माता-पिता और स्कूल डिस्ट्रिक्ट या अन्य कोई सार्वजनिक एजेंसी मामले को चिंतन-मनन या विवादास्पद फैसले को वैकल्पिक जरियों, यदि ये राज्य में उपलब्ध हों, से हल करने के लिए स्वैच्छिक रूप से सहमत होती हैं।
2. राजकीय शैक्षणिक एजेंसी के अंतिम निर्णय के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए प्रक्रियाएं शामिल करने हेतु, यदि आवश्यक हो, निम्न को शामिल करेंगी: (क) तकनीकी सहायता गतिविधियां; (ख) वार्ताएं; **और** (ग) अनुपालन हासिल करने के लिए दोषनिवारक कार्रवाइयां।

राजकीय शिकायतें और समुचित प्रक्रिया सुनवाइयां

यदि लिखित रूप में कोई राजकीय शिकायत प्राप्त होती है जो नीचे दिए गए ***समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज कराना*** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित समुचित प्रक्रिया सुनवाई का भी विषय है, या राजकीय शिकायत में निहित अनेक मुद्दे जिसमें एक या अधिक मुद्दे इस तरह की सुनवाई का हिस्सा हैं, तो राज्य निश्चित ही राजकीय शिकायत, या राजकीय शिकायत के किसी ऐसे हिस्से को सुनवाई पूरी होने तक के लिए अस्वीकार कर देगा जिसे समुचित प्रक्रिया सुनवाई में संबोधित किया गया हो। राजकीय शिकायत के किसी भी मुद्दे, जो समुचित प्रक्रिया सुनवाई का एक हिस्सा नहीं है, को समय-सीमा और उपरोक्त वर्णित प्रक्रियाओं के प्रयोग द्वारा हल किया जाएगा।

यदि राजकीय शिकायत में उठाए गए किसी मुद्दे पर उन्हीं पक्षों (आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट) की उपस्थिति में पहले ही किसी समुचित प्रक्रिया सुनवाई में फैसला हो चुका है, तो उस मुद्दे पर समुचित प्रक्रिया सुनवाई के फैसले को जोड़ दिया जाएगा और राजकीय शैक्षणिक एजेंसी शिकायतकर्ता को सूचित करेगी कि फैसला जोड़ दिया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा किसी समुचित प्रक्रिया सुनवाई के फैसले को क्रियान्वित करने में किसी स्कूल डिस्ट्रिक्ट या अन्य सार्वजनिक एजेंसी द्वारा हुई नाकामी को राजकीय शैक्षणिक एजेंसी द्वारा हल किया जाएगा।

राजकीय शिकायत दर्ज कराना

34 CFR §300.153

कोई संगठन या व्यक्ति उपरोक्त वर्णित प्रक्रियाओं के अंतर्गत एक हस्ताक्षरित लिखित राजकीय शिकायत दर्ज कर सकता है।

राजकीय शिकायत में निम्न शामिल होने चाहिए :

1. स्कूल डिस्ट्रिक्ट या किसी अन्य सार्वजनिक एजेंसी द्वारा IDEA के भाग बी की किसी आवश्यकता या *34 CFR* भाग *300* में इसके कार्यान्वित नियमों के उल्लंघन को बताने वाला एक कथन;
2. वे तथ्य जिन पर यह कथन आधारित है;
3. शिकायत दर्ज कराने वाले पक्ष का हस्ताक्षर और संपर्क संबंधी जानकारी; और
4. यदि उल्लंघनों का अभियोग किसी खास बच्चे के संदर्भ में हो, तो :
   - क. बच्चे का नाम और बच्चे का आवासीय पता;
   - ख. बच्चा जिस स्कूल में है उसका नाम;
   - ग. बेघर बच्चे या युवा के मामले में, बच्चे के लिए उपलब्ध संपर्क की जानकारी, और बच्चा जिस स्कूल में है उसका नाम;
   - घ. बच्चे की समस्या की प्रकृति का विवरण, जिसमें समस्या से संबंधित तथ्य शामिल हों; **और**
   - ङ. शिकायत दर्ज करने वाले पक्ष को समस्या के बारे में जिस हद तक पता और जानकारी उपलब्ध हो, उसके अनुसार शिकायत दर्ज करते समय समस्या का एक प्रस्तावित समाधान।

राजकीय शिकायत प्रक्रियाओं का अंगीकरण शीर्षक के अंतर्गत दिए गए विवरणों के अनुसार, शिकायत में ऐसे उल्लंघन का अभियोग लगाया होना चाहिए जो शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय पहले नहीं हुआ हो।

राजकीय शिकायत दर्ज करने वाले पक्ष को राजकीय शैक्षणिक एजेंसी के पास शिकायत दर्ज कराते समय, शिकायत की एक प्रति बच्चे की सेवा कर रहे स्कूल डिस्ट्रिक्ट या अन्य सार्वजनिक एजेंसी को अग्रेषित करनी होगी।

समुचित प्रक्रिया शिकायत की प्रक्रियाएं

समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज कराना

34 CFR §300.507

आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपके बच्चे की पहचान, मूल्यांकन या शैक्षणिक निर्धारण शुरू करने या परिवर्तन करने के प्रस्ताव या इससे इंकार करने, या बच्चे को एक नि:शुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (एफएपीई) देने के प्रावधान से संबंधित किसी भी मामले में एक समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

समुचित प्रक्रिया शिकायत में किसी ऐसे उल्लंघन का आरोप होना चाहिए जो आपको या स्कूल डिस्ट्रिक्ट को उस आरोपित कार्रवाई के बारे में जानकारी होने या हो सकने से दो वर्ष से अधिक पहले घटित न हुआ हो जिसके आधार पर समुचित प्रक्रिया शिकायत की जा रही है।

यह उपरोक्त समय-सीमा उस स्थिति में लागू नहीं होती है जबकि आप निम्न वजहों से समय-सीमा के अंदर समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज नहीं करा पाते :

1. स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने गलत ढंग से यह प्रस्तुत किया हो कि शिकायत में कहे गए मुद्दों को उसने हल कर लिया है; **या**
2. स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने आपसे वह सूचना छुपाई जो कि IDEA के भाग बी के अंतर्गत आपको प्रदान करनी आवश्यक थी।

माता-पिताओं के लिए जानकारी

यदि आप जानकारी के लिए अनुरोध करते हैं, **या** यदि आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट कोई समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज करते हैं तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपको उस क्षेत्र में उपलब्ध नि:शुल्क या कम-खर्चीली कानूनी या अन्य प्रासंगिक सेवाओं के बारे में जानकारी अवश्य प्रदान करेगा।

समुचित प्रक्रिया शिकायत

34 CFR §300.508

सामान्य

सुनवाई करने का अनुरोध करने के क्रम में, आपको या स्कूल डिस्ट्रिक्ट (या आपके वकील या स्कूल डिस्ट्रिक्ट के वकील) को एक अन्य पक्ष के पास एक समुचित प्रक्रिया शिकायत दाखिल करना होगा। इस शिकायत में नीचे सूचीबद्ध की गई सभी चीजें शामिल होनी चाहिए और इसे गोपनीय रखा जाना चाहिए।

आपको या आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट, जो कोई भी शिकायत दर्ज करता है, को शिकायत की एक प्रति राजकीय शैक्षणिक एजेंसी को भी भेजनी चाहिए।

शिकायत की विषय-वस्तु

समुचित प्रक्रिया शिकायत में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

1. बच्चे का नाम;
2. बच्चे का आवासीय पता;
3. बच्चा के स्कूल का नाम;
4. यदि बच्चा या युवा बेघर है, तो बच्चे के संपर्क की जानकारी, और बच्चा के स्कूल का नाम;
5. प्रस्तावित या अस्वीकृत कार्रवाई से संबंधित बच्चे की समस्या की प्रकृति का विवरण, जिसमें समस्या से संबंधित तथ्य शामिल हों; **और**
6. समस्या पैदा होने के समय शिकायत दर्ज कराने वाले पक्ष (आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट) को इसका जिस हद तक पता और जानकारी हो, उसके अनुसार समस्या का एक प्रस्तावित समाधान।

किसी समुचित प्रक्रिया शिकायत पर कोई सुनवाई होने से पहले आवश्यक सूचना

आपकी या स्कूल डिस्ट्रिक्ट की कोई समुचित प्रक्रिया सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट (या आपका वकील या स्कूल डिस्ट्रिक्ट का वकील), ऊपर सूचीबद्ध की गई जानकारी सहित एक समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज न कराए।

शिकायत की पर्याप्तता

किसी समुचित प्रक्रिया शिकायत को अग्रेषित किए जाने के क्रम में, पहले इसे पर्याप्त मान लिया जाना होगा। समुचित प्रक्रिया शिकायत को तब पर्याप्त (उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला) समझा जाएगा जबकि समुचित प्रक्रिया शिकायत प्राप्त करने वाला पक्ष (आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट) सुनवाई अधिकारी और अन्य पक्ष को शिकायत प्राप्त करने के 15 कैलेंडर दिनों के अंदर लिखित रूप में सूचित न करें कि प्राप्तकर्ता पक्ष का मानना है कि समुचित प्रक्रिया शिकायत ऊपर सूचीबद्ध की गई आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

यदि अधिसूचना प्राप्त करने के पांच कैलेंडर दिनों के अंदर, प्राप्तकर्ता पक्ष (आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट) समुचित प्रक्रिया शिकायत को अपर्याप्त पाता है, तो सुनवाई अधिकारी यह निर्णय लेगा कि समुचित प्रक्रिया शिकायत ऊपर सूचीबद्ध की गई आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं, और तत्काल आपको और स्कूल डिस्ट्रिक्ट को लिखित रूप में सूचित करेगा।

शिकायत में संशोधन

आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट शिकायत में तभी बदलाव कर सकते हैं, जबकि :

1. अन्य पक्ष लिखित रूप में बदलावों का अनुमोदन करे और उसे एक समाधान बैठक के माध्यम से समुचित प्रक्रिया शिकायत का समाधान करने का मौका प्रदान किया जाए, जिसका वर्णन **समाधान प्रक्रिया** शीर्षक में किया गया है; **या**
2. समुचित प्रक्रिया सुनवाई के शुरू होने के पांच दिन पूर्व के पश्चात, सुनवाई अधिकारी बदलाव करने की अनुमति प्रदान करे।

यदि शिकायत करने वाला पक्ष (आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट) समुचित प्रक्रिया शिकायत में बदलाव करता है, तो समाधान बैठक के लिए समय-सीमाओं (शिकायत प्राप्त करने के 15 कैलेंडर दिनों के अंदर) और हल निकालने के लिए समय अवधि (शिकायत प्राप्त करने के 30 कैलेंडर दिनों के अंदर) को संशोधित शिकायत के दर्ज किए जाने की तिथि से पुन :शुरू किया जाएगा।

समुचित प्रक्रिया शिकायत पर स्थानीय शैक्षणिक एजेंसी (एलईए) या स्कूल डिस्ट्रिक्ट का प्रत्युत्तर

यदि स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने ***पूर्व लिखित सूचना*** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित ढंग के अनुसार आपकी समुचित प्रक्रिया शिकायत में निहित विषयवस्तु के बारे में आपको पूर्व लिखित सूचना नहीं भेजी है, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट को समुचित प्रक्रिया शिकायत प्राप्त करने के 10 कैलेंडर दिनों के अंदर, आपको प्रत्युत्तर भेजना होगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हो :

1. एक स्पष्टीकरण कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने समुचित प्रक्रिया शिकायत में उठाई गई कार्रवाई क्यों प्रस्तावित की या करने से इंकार किया;
2. उन अन्य विकल्पों का वर्णन जिन पर आपके बच्चे की वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम (आईईपी) टीम ने विचार किया और इन विकल्पों को खारिज किए जाने के कारण;
3. प्रत्येक उस मूल्यांकन प्रक्रिया, आकलन, रिकॉर्ड, या रिपोर्ट का वर्णन जिसके आधार पर स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने प्रस्तावित या अस्वीकृत कार्रवाई की; **और**
4. उन अन्य कारकों का वर्णन जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट की प्रस्तावित या अस्वीकृत कार्रवाई के लिए प्रासंगिक हैं।

उपरोक्त मद संख्या 1-4 में जानकारी प्रदान करना स्कूल डिस्ट्रिक्ट को यह कहने से नहीं रोकता है कि आपकी समुचित प्रक्रिया शिकायत अपर्याप्त थी।

समुचित प्रक्रिया शिकायत पर अन्य पक्ष का प्रत्युत्तर

ठीक ऊपर के उप-शीर्षक, ***समुचित प्रक्रिया शिकायत पर स्थानीय शैक्षणिक एजेंसी (एलईए) या स्कूल डिस्ट्रिक्ट का प्रत्युत्तर***, के अंतर्गत प्रस्तुत कथन को छोड़कर, समुचित प्रक्रिया शिकायत प्राप्त करने वाले पक्ष को, शिकायत प्राप्त करने के 10 कैलेंडर दिनों के भीतर, दूसरे पक्ष को एक प्रत्युत्तर भेजना चाहिए जो शिकायत में उठाए गए मुद्दों को विशिष्ट रूप में संबोधित करता हो।

मॉडल प्रपत्र

34 CFR §300.509

राजकीय शैक्षणिक एजेंसी ने समुचित प्रक्रिया शिकायत और राजकीय शिकायत दाखिल करने में आपकी तथा आपके अन्य पक्षों की मदद के लिए मॉडल प्रपत्र विकसित किए हैं। लेकिन, आपके राज्य अथवा स्कूल डिस्ट्रिक्ट को इन मॉडल प्रपत्रों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल, आप इस प्रपत्र या किसी अन्य उपयुक्त मॉडल प्रपत्र का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें समुचित प्रक्रिया शिकायत या राजकीय शिकायत दाखिल करने के लिए आवश्यक सूचना शामिल हो। मॉडल प्रपत्र प्राप्त करने के लिए आप निम्नलिखित कर सकते हैं :

1. इस वेबसाइट से डाउनलोड करें - http://www.dese.mo.gov/divspeced/Complaint_System/index.htm
2. मिज़ोरी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को (573) 751-0602 पर कॉल करें।

मध्यस्थता

34 CFR §300.506

सामान्य

राजकीय शैक्षणिक एजेंसी को आपको मध्यस्थता उपलब्ध करानी चाहिए ताकि आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट IDEA के भाग बी के अंतर्गत किसी मामले के संबंध में असहमतियों को हल कर सकें, जिनमें समुचित प्रक्रिया शिकायत दाखिल करने के पहले उठे मामले शामिल हैं। इस प्रकार, IDEA के भाग बी के अंतर्गत विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता उपलब्ध है, चाहे आपने ***एक समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज कराना***

शीर्षक के अंतर्गत वर्णित ढंग से समुचित प्रक्रिया सुनवाई के अनुरोध के लिए समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज कराई है अथवा नहीं।

आवश्यकताएं

प्रक्रियाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्यस्थता प्रक्रिया :

1. आपकी ओर से और स्कूल डिस्ट्रिक्ट की ओर से स्वैच्छिक है;
2. समुचित प्रक्रिया सुनवाई के आपके अधिकार को नकारने, या IDEA के भाग बी के अंतर्गत आपको मिले किन्हीं अन्य अधिकारों को नकारने के लिए प्रयोग नहीं की जा रही है; **और**
3. एक योग्यता प्राप्त तथा निष्पक्ष मध्यस्थ द्वारा संचालित है जिसे मध्यस्थता की प्रभावी तकनीकों का प्रशिक्षण मिला हो।

मध्यस्थता हेतु अनुरोध करने के लिए निम्न पते पर एक लिखित अनुरोध भेजें :

Missouri Department of Elementary and Secondary Education
Division of Special Education/Compliance Section
PO Box 480
Jefferson City, MO 65102-0480

मध्यस्थता प्रक्रिया का चुनाव न करने वाले माता-पिता और स्कूलों के लिए, स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपके सुविधाजनक समय और स्थान पर ऐसे बिना हित वाले पक्ष के साथ मिलने के अवसर प्रदान करने वाली प्रक्रियाएं विकसित कर सकता है :

1. जो राज्य में स्थित किसी उचित वैकल्पिक विवाद समाधान निकाय, या किसी माता-पिता प्रशिक्षण और सूचना केंद्र या सामुदायिक माता-पिता संसाधन केंद्र के साथ जुड़ा हो; **और**
2. जो आपको मध्यस्थता प्रक्रिया के प्रयोग के फायदे समझाएं और इसके लिए आपको प्रोत्साहित करे।

राज्य के पास ऐसे लोगों की सूची होनी चाहिए जो योग्यताप्राप्त मध्यस्थ हैं और विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं के प्रावधान से संबंधित नियमों और कानूनों को जानते हैं। राजकीय शैक्षणिक एजेंसी मध्यस्थों का चुनाव सांयोगिक, चक्रीय क्रम, या अन्य निष्पक्ष आधारों पर करती है।

बैठकों के खर्च के साथ ही, मध्यस्थता प्रक्रिया का खर्च उठाने की जिम्मेदारी राज्य पर है।

मध्यस्थता प्रक्रिया में होने वाले प्रत्येक बैठक समयबद्ध ढंग से निर्धारित की जाएगी और आपके तथा स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए सुविधाजनक स्थान पर आयोजित की जाएगी।

यदि आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से किसी विवाद का समाधान कर लेते हैं, तो दोनों पक्षों को वैधानिक रूप से मान्य एक समझौते में दाखिल होना होगा जो समाधान की घोषणा करती है और इसमें :

1. कहा गया होगा कि मध्यस्था प्रक्रिया के दौरान हुई समस्त चर्चाएं गोपनीय रखी जाएंगी और इन्हें किसी भी आगामी समुचित प्रक्रिया सुनवाई या दीवानी मामलों (अदालती मामले) की कार्रवाइयों में साक्ष्य के तौर पर प्रयोग नहीं किया जा सकेगा; **और**
2. आपके और स्कूल डिस्ट्रिक्ट के एक प्रतिनिधि, जो उस स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए मान्य रूप से अधिकृत हो, के हस्ताक्षर होंगे।

एक लिखित, हस्ताक्षरित मध्यस्थता समझौतापत्र सक्षम न्यायिक क्षेत्र के किसी भी राजकीय न्यायालय (ऐसा न्यायालय जो इस प्रकार के मामले को सुनने के लिए राज्य के कानून के अंतर्गत अधिकारप्राप्त हो) या संयुक्त राज्य के किसी जिला न्यायालय में प्रवर्तनीय होगा।

मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान हुई चर्चाओं को गोपनीय रखा जाए। इन्हें किसी भी संघीय न्यायालय या IDEA के भाग बी के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहे किसी राज्य के राजकीय न्यायालय की भविष्य में होने वाली किसी भी समुचित प्रक्रिया सुनवाई या दीवानी मामलों की कार्रवाइयों में साक्ष्य के तौर पर प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

मध्यस्थ की निष्पक्षता

मध्यस्थ :

1. आपके बच्चे की शिक्षा या देखभाल से जुड़ा राजकीय शैक्षणिक एजेंसी या स्कूल डिस्ट्रिक्ट का कर्मचारी नहीं हो सकता; **और**
2. उसका कोई ऐसा निजी या पेशवर हित नहीं होना चाहिए जो सुनवाई में सुनवाई अधिकारी की वस्तुनिष्ठता से टकराता हो।

ऐसा व्यक्ति जो अन्य प्रकार से एक मध्यस्थ के रूप में योग्यताप्राप्त है, एकमात्र इसी वजह से किसी स्कूल डिस्ट्रिक्ट या राजकीय एजेंसी का कर्मचारी नहीं हो जाता/जाती क्योंकि उसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एजेंसी या स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा भुगतान किया जाता है।

समाधान प्रक्रिया

34 CFR §300.510

समाधान बैठक

अपनी समुचित प्रक्रिया शिकायत की सूचना प्राप्त करने के 15 कैलेंडर दिनों के अंदर, और समुचित प्रक्रिया सुनवाई के शुरू होने से पहले, स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपके और वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम (आईईपी) टीम के प्रासंगिक सदस्य या सदस्यों, जिन्हें आपकी समुचित प्रक्रिया शिकायत में निर्दिष्ट किए गए तथ्यों की विशिष्ट जानकारी हो, के साथ एक बैठक का आयोजन करेगा। इस बैठक में :

1. स्कूल डिस्ट्रिक्ट का एक प्रतिनिधि शामिल होगा जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट की ओर से निर्णय लेने के लिए अधिकृत हो; **और**
2. स्कूल डिस्ट्रिक्ट का वकील तब तक शामिल नहीं होगा जब तक कि आप अपने वकील को शामिल नहीं करते।

आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट आईईपी टीम के बैठक में भाग लेने वाले प्रासंगिक सदस्यों का निर्धारण करेंगे।

आपके लिए इस बैठक का उद्देश्य अपनी समुचित प्रक्रिया शिकायत, और शिकायत के आधारभूत तथ्यों की चर्चा करना होगा, ताकि स्कूल डिस्ट्रिक्ट को विवाद हल करने का अवसर मिल सकें।

समाधान बैठक की आवश्यकता तब नहीं होगी जबकि :

1. आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट लिखित रूप में बैठक को स्थगित कर देने पर सहमत हो जाएं; या
2. आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट ***मध्यस्थता*** शीर्षक के अंतर्गत वर्णित ढंग से मध्यस्थता प्रक्रिया का प्रयोग करने पर सहमत हो जाएं।

समाधान अवधि

यदि स्कूल डिस्ट्रिक्ट, समुचित प्रक्रिया शिकायत की प्राप्ति के 30 कैलेंडर दिन के अंदर (समाधान प्रक्रिया हेतु समय अवधि के दौरान), आपकी संतुष्टि के मुताबिक समुचित प्रक्रिया शिकायत का समाधान नहीं करता तो समुचित प्रक्रिया सुनवाई की जा सकती है।

अंतिम समुचित प्रक्रिया सुनवाई निर्णय जो, **सुनवाई निर्णय**, शीर्षक में वर्णित है को जारी करने के लिए 45 कैलेंडर दिन की समय-सीमा की शुरुआत, नीचे वर्णित 30 कैलेंडर दिन वाली समाधान अवधि में समायोजन के लिए किए गए कुछ निश्चित अपवादों के साथ, 30 कैलेंडर दिन वाली समाधान अवधि के समाप्त होने पर होती है।

आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट, दोनों के द्वारा समाधान प्रक्रिया को स्थगित करने या मध्यस्था का प्रयोग करने पर हुई सहमति को छोड़कर, समाधान बैठक में आपकी भागीदारी करने में हुई नाकामी समाधान

प्रक्रिया और समुचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए समय-सीमा को तब तक विलंबित करेगी जब तक बैठक नहीं हो पाती है।

यदि तर्कसंगत प्रयास करने और ऐसे प्रयोग को लेखबद्ध करने के बाद भी स्कूल डिस्ट्रिक्ट, समाधान बैठक में आपकी भागीदारी बनाने में सक्षम नहीं होता, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट, 30 कैलेंडर दिनों वाली समाधान अवधि की समाप्ति पर, यह अनुरोध कर सकता है कि कोई सुनवाई अधिकारी आपकी समुचित प्रक्रिया शिकायत को खारिज कर दे। ऐसे प्रयासों के लिखित प्रमाणों पारस्परिक सहमति से तय किए गए समय और स्थान का प्रबंध करने के स्कूल डिस्ट्रिक्ट के प्रयासों का रिकॉर्ड शामिल होना चाहिए, जैसे कि:

1. किए गए टेलीफोन कॉलों या इन कॉलों को करने के प्रयासों तथा नतीजों का विस्तृत रिकॉर्ड;
2. आपके द्वारा भेजे गए पत्रों और इनके किन्हीं भी प्राप्त उत्तरों की प्रतियां; और
3. आपके घर या कार्यस्थान पर की गई मुलाकातों और उन मुलाकातों के नतीजों का विस्तृत रिकॉर्ड।

यदि स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपकी समुचित प्रक्रिया शिकायत की सूचना प्राप्त करने के 15 कैलेंडर दिनों के अंदर समाधान बैठक आयोजित करने में नाकाम रहता है <u>या</u> समाधान बैठक में भागीदारी करने में नाकाम रहता है, तो आप किसी सुनवाई अधिकारी से 45 कैलेंडर दिन वाली समुचित प्रक्रिया सुनवाई की समय-सीमा शुरु करने के लिए कह सकते हैं।

30 कैलेंडर दिन वाली समाधान अवधि में समायोजन करना

यदि आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट लिखित रूप में समाधान बैठक को स्थगित करने पर सहमत हों, तो अगले दिन से समुचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए 45 कैलेंडर दिनों की समय-सीमा शुरू हो जाएगी।

मध्यस्थता या समाधान बैठक के शुरू होने के बाद और 30 कैलेंडर दिन वाली समाधान अवधि के समाप्त होने से पहले, यदि आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट लिखित रूप में इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि कोई भी समझौता संभव नहीं है, तो अगले ही दिन से समुचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए 45 कैलेंडर दिनों की समय-सीमा शुरू हो जाएगी।

यदि आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट, 30 कैलेंडर दिन वाली समाधान अवधि के समाप्त होने पर, मध्यस्थ प्रक्रिया का प्रयोग करने पर सहमत हो जाते हैं लेकिन अभी तक समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं तो समझौते पर पहुंचने तक दोनों पक्षों को लिखित रूप में मध्यस्थता को जारी रखने पर सहमत हो सकते हैं। हालांकि, यदि चाहे आप या फिर स्कूल डिस्ट्रिक्ट मध्यस्थ प्रक्रिया से अलग हट जाते हैं, तो अगले ही दिन से समुचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए 45 कैलेंडर दिन की समय-सीमा शुरू हो जाएगी।

लिखित रूप में विवाद के निपटारे का समझौता

यदि समाधान बैठक में विवाद हेतु कोई समाधान प्रस्तुत होता है, तो आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट वैधानिक रूप से मान्य एक समझौता करेंगे जिसमें :

1. समझौतापत्र पर आपके और स्कूल डिस्ट्रिक्ट के एक प्रतिनिधि, जो उस स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए मान्य रूप से अधिकृत हो, के हस्ताक्षर होंगे; **और**
2. समझौता सक्षम न्यायिक क्षेत्र के किसी भी राजकीय न्यायालय में (ऐसा राजकीय न्यायालय जो इस प्रकार के मामले की सुनवाई करने के लिए अधिकृत हो) या संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी जिला न्यायालय में या राजकीय शैक्षणिक एजेंसी द्वारा लागू होगा, यदि आपके राज्य के पास कोई और कार्यप्रणाली या प्रक्रियाएं हों जो पक्षों को निराकरण समझौतों को लागू करवाने की अनुमति देते हों।

समझौता समीक्षा अवधि

यदि आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट समाधान बैठक के नतीजे के तौर पर किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं, तो कोई भी पक्ष (आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट) उन 3 व्यावसायिक दिवसों के समय के अंदर समझौते को निष्फल कर सकते हैं जिस पर आपने और स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने समझौतापत्र पर हस्ताक्षर किया है।

समुचित प्रक्रिया शिकायतों पर सुनवाईयां

निष्पक्ष समुचित प्रक्रिया सुनवाई

34 CFR §300.511

सामान्य

जब भी कोई समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज की जाती है तो, ***समुचित प्रक्रिया शिकायत*** और ***समाधान प्रक्रिया*** अनुच्छेदों में वर्णित ढंग से, विवाद में फंसे आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट के पास एक निष्पक्ष समुचित प्रक्रिया सुनवाई कराने का अवसर होता है।

समुचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए लिखित अनुरोध मिज़ोरी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजा जाना चाहिए, और इसकी प्रतियां रखनी चाहिए और उस एजेंसी को भेजा जाना चाहिए जिसके खिलाफ आप समुचित प्रक्रिया का आरंभ कर रहे हैं।

विभाग को पत्र भेजने के लिए पता है :

MODESE
Attention: Compliance Section/Special Education
PO Box 480
Jefferson City, MO 65102
फ़ैक्स: (573) 526-4404

निष्पक्ष सुनवाई अधिकारी

न्यूनतम तौर पर, सुनवाई अधिकारी को :

1. उस राजकीय शैक्षणिक एजेंसी या स्कूल डिस्ट्रिक्ट का कर्मचारी नहीं होना चाहिए जो बच्चे की शिक्षा या देखभाल से जुड़ा है। लेकिन, कोई व्यक्ति महज इसलिए एजेंसी का कर्मचारी नहीं होता क्योंकि उसे सुनवाई अधिकारी का काम करने के लिए एजेंसी द्वारा भुगतान किया जाता है;
2. उसका कोई ऐसा निजी या पेशवर हित नहीं होना चाहिए जो सुनवाई में सुनवाई अधिकारी की वस्तुनिष्ठता से टकराता हो;
3. उसे जानकार होना चाहिए और IDEA के प्रावधानों, तथा IDEA से संबंधित संघीय और राजकीय नियम-विधानों, तथा संघीय और राजकीय अदालतों द्वारा IDEA की वैधिक व्याख्याओं की समझ होनी चाहिए; **<u>और</u>**
4. उसमें सुनवाइयों का संचालन करने, तथा उपयुक्त, मानक वैधिक व्यवहारों के अनुरूप निर्णय करने तथा लिखने की जानकारी तथा योग्यता होनी चाहिए।

प्रत्येक स्कूल जिले को सुनवाई अधिकारियों का काम करने वाले व्यक्तियों की एक सूची रखनी चाहिए जिसमें प्रत्येक सुनवाई अधिकारी की योग्यताओं का विवरण भी हो।

समुचित प्रक्रिया सुनवाई की विषयवस्तु

समुचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करने वाला पक्ष (आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट) समुचित प्रक्रिया सुनवाई में वे मुद्दे नहीं उठाएगा जो समुचित प्रक्रिया शिकायत में संबोधित नहीं किए गए थे, जब तक कि दूसरा पक्ष इससे सहमत न हो।

सुनवाई का अनुरोध करने की समय-सीमा

आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट को उस तिथि के दो वर्ष के भीतर समुचित प्रक्रिया शिकायत पर निष्पक्ष सुनवाई का अनुरोध करना चाहिए जब आपको या स्कूल जिले को शिकायत में उठाए गए मुद्दे के बारे में पता चला या पता चलना चाहिए था।

समय-सीमा के अपवाद

उपरोक्त समय-सीमा आप पर नहीं लागू होगी अगर आप निम्नलिखित कारणों से समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज नहीं करा सके :

1. स्कूल जिले ने विशिष्ट रूप से यह गलत तथ्य दिया कि उसने आपकी शिकायत में उठाई जा रही समस्या या मुद्दे का समाधान कर दिया है; **या**
2. स्कूल जिले ने आपको वह जानकारी नहीं दी जो IDEA के भाग बी के अंतर्गत उसे आपको देनी चाहिए थी।

सुनवाई के अधिकार

34 CFR §300.512

सामान्य

आपको स्वयं समुचित प्रक्रिया सुनवाई पर प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, समुचित प्रक्रिया सुनवाई (जिसमें अनुशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित सुनवाई शामिल है) में किसी भी पक्ष को निम्नलिखित अधिकार है:

1. अपने साथ वकील और/या अशक्तताओं वाले बच्चों की समस्याओं के संबंध में विशेष जानकारी या प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को रखने का;
2. किसी वकील द्वारा समुचित प्रक्रिया सुनवाई पर प्रतिनिधित्व करने का;
3. साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा गवाहों से जवाब तलब करने, जिरह करने और उनकी उपस्थिति आवश्यक बनाने का;
4. सुनवाई में ऐसे किसी भी साक्ष्य को पेश करने से रोकने का जिसे सुनवाई के कम से कम पांच कार्यदिवस पहले उस पक्ष के सामने प्रकट नहीं किया गया है;
5. सुनवाई का लिखित, या अपनी इच्छानुसार, इलेक्ट्रॉनिक, शब्दशः अभिलेख प्राप्त करना; **और**
6. तथ्यों और निर्णयों के लिखित, या अपनी इच्छानुसार, इलेक्ट्रॉनिक निष्कर्ष प्राप्त करना।

सूचना का अतिरिक्त प्रकटीकरण

समुचित प्रक्रिया सुनवाई के कम से कम पांच कार्यदिवस पहले, आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट को एक-दूसरे को उस तिथि तक पूरे हुए सभी अन्य मूल्यांकनों और उन मूल्यांकनों पर आधारित संस्तुतियों को प्रकट करना चाहिए जिन्हें आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट सुनवाई में प्रयोग करने का इरादा रखते हैं।

कोई सुनवाई अधिकारी इस तकाजे को पूरा करने में असफल रहने वाले किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष की सहमति के बिना सुनवाई में संबंधित मूल्यांकन या संस्तुति को पेश करने से रोक सकता है।

सुनवाई में माता-पिता के अधिकार

आपको निम्नलिखित का अधिकार दिया जाना चाहिए :

1. अपने बच्चे के उपस्थित रहने का;
2. सुनवाई को सार्वजनिक किए जाने का; **और**
3. सुनवाई के अभिलेख, तथ्यों के निष्कर्षों तथा निर्णयों को नि:शुल्क आपको प्रदान किए जाने का।

सुनवाई के निर्णय

34 CFR §300.513

सुनवाई अधिकारी का निर्णय

आपके बच्चे को नि:शुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (एफएपीई) मिली या नहीं इस बारे में सुनवाई अधिकारी का निर्णय सीधे एफएपीई से संबंधित साक्ष्य तथा दलील पर आधारित होना चाहिए।

जिन मामलों में प्रक्रियागत उल्लंघन (जैसे "एक अपूर्ण आईईपी टीम") का आरोप लगाया गया है, उनमें सुनवाई अधिकारी केवल तभी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आपके बच्चे को नि:शुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (एफएपीई) नहीं मिली यदि प्रक्रियागत उल्लंघन ने :

1. आपके बच्चे के नि:शुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (एफएपीई) के अधिकार में बाधा पहुंचाई हो;
2. आपके बच्चे को नि:शुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (एफएपीई) प्रदान करने के संबंध में निर्णयकारी प्रक्रिया में भाग लेने के आपके अवसर में महत्वपूर्ण रूप से बाधा पहुंचाई हो; **या**
3. आपके बच्चे को किसी शैक्षणिक लाभ से वंचित रखने के कारण बनी हो।

निर्माण अनुच्छेद

ऊपर वर्णित प्रावधानों में से किसी की भी व्याख्या किसी सुनवाई अधिकारी को IDEA के भाग बी के अंतर्गत संघीय नियम-विधानों के प्रक्रियागत सुरक्षा प्रावधानों (34 CFR §§300.500 से 300.536 तक) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने से रोकने के लिए नहीं की जा सकती।

समुचित प्रक्रिया सुनवाई के लिए पृथक अनुरोध

IDEA के भाग बी के अंतर्गत संघीय नियम-विधानों के प्रक्रियागत सुरक्षा प्रावधानों (34 CFR §§300.500 से 300.536 तक) के खंड की किसी भी बात की व्याख्या आपको पहले ही दर्ज कराई जा चुकी समुचित

प्रक्रिया शिकायत से पृथक किसी मुद्दे पर एक पृथक समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज कराने से रोकने के लिए नहीं की जा सकती।

सलाहकार पैनल और आम जनता को निष्कर्ष एवं निर्णय

राजकीय शैक्षणिक एजेंसी या स्कूल डिस्ट्रिक्ट (जो भी आपकी सुनवाई के लिए जिम्मेदार था) को किसी व्यक्तिगत रूप से पहचान करने वाली सूचना को हटाने के बाद :

1. समुचित प्रक्रिया सुनवाई या अपील के निष्कर्षों और निर्णयों को राजकीय विशेष शिक्षा सलाहकार पैनल को प्रदान करना चाहिए; **और**
2. इन निष्कर्षों और निर्णयों को जनता को उपलब्ध कराना चाहिए।

अपीलें

निर्णय का अंतिम होना; अपील; निष्पक्ष समीक्षा

34 CFR §300.514

सुनवाई के निर्णय का अंतिम होना

समुचित प्रक्रिया सुनवाई में किया गया कोई निर्णय (अनुशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित सुनवाई सहित) अंतिम होता है, सिवाय इस स्थिति के कि सुनवाई में शामिल कोई पक्ष (आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट) [नीचे] **दीवानी कार्रवाइयां जिनमें इन कार्रवाइयों को दायर करने की समयावधि शामिल है** शीर्षक में वर्णित अनुसार दीवानी कार्रवाई के जरिए निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है।

सुनवाईयों और समीक्षाओं की समय-सीमाएं तथा सुविधा

34 CFR §300.515

राजकीय शैक्षणिक एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाधान बैठकों के लिए 30 कैलेंडर दिन की अवधि समाप्त होने के अधिकतम 45 कैलेंडर दिन **या,** उपशीर्षक ***30 कैलेंडर दिन की समाधान अवधि में समायोजन*** के अंतर्गत वर्णित ढंग से समायोजित समयावधि की समाप्ति की अधिकतम 45 कैलेंडर दिन के भीतर :

1. सुनवाई में अंतिम निर्णय हो जाए; **और**
2. निर्णय की प्रतिलिपि दोनों पक्षों को डाक से भेज दी जाए।

सुनवाई अधिकारी किसी भी पक्ष के अनुरोध पर ऊपर वर्णित 45 कैलेंडर दिन की समयावधि के आगे समय को सुनिश्चित अवधि तक बढ़ा सकता है।

प्रत्येक सुनवाई ऐसे समय एवं स्थान पर संचालित की जानी चाहिए जो आपके और आपके बच्चे के लिए तर्कसंगत ढंग से सुविधाजनक हो।

दीवानी कार्रवाइयां, जिनमें इन कार्रवाइयों को दायर करने की समयावधि शामिल है

34 CFR §300.516

सामान्य

किसी भी पक्ष (आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट) जो समुचित प्रक्रिया सुनवाई (अनुशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित सुनवाई सहित) के निष्कर्षों और निर्णयों से सहमत नहीं है, को उस मामले के संबंध में दीवानी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है जो समुचित प्रक्रिया सुनवाई का विषय था। यह कार्रवाई सक्षम न्यायाधिकार वाले राजकीय न्यायालय (ऐसा राजकीय न्यायालय जिसके पास इस प्रकार के मामले को सुनने का अधिकार हो) में या युनाइटेड स्टेट्स के किसी जिला न्यायालय में दायर की जा सकती है चाहे विवादित राशि कोई भी हो।

समय-सीमा

कार्रवाई करने वाले पक्ष (आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट) के पास दीवानी कार्रवाई दायर करने के लिए सुनवाई अधिकारी के निर्णय की तिथि से 45 कैलेंडर दिन का समय होगा।

अतिरिक्त प्रक्रियाएं

किसी भी दीवानी कार्रवाई में, न्यायालय :

1. प्रशासकीय कार्यवाहियों के अभिलेख प्राप्त करता है;
2. आपके अनुरोध पर या स्कूल जिले के अनुरोध पर अतिरिक्त साक्ष्यों की सुनवाई करता है; **और**
3. साक्ष्य की गुरुता के आधार पर अपना निर्णय करता है और न्यायालय द्वारा निर्धारित उपयुक्त राहत प्रदान करता है।

उपयुक्त परिस्थितयों के तहत, अदालती राहत में निजी स्कूल शिक्षण की अदायगी तथा क्षतिपूरक शिक्षा सेवाएं शामिल हो सकते हैं।

जिला न्यायालयों का न्यायाधिकार

युनाइटेड स्टेट्स के जिला न्यायालयों को IDEA के भाग बी के अंतर्गत दायर कार्रवाइयों पर निर्णय देने का अधिकार है चाहे विवादित राशि कोई भी हो।

निर्माण के नियम

IDEA के भाग बी की कोई भी बात अमेरिकी संविधान, 1990 के अशक्तताओं वाले अमेरिकी नागरिक कानून, 1973 के पुनर्वास कानून के शीर्षक V (अनुच्छेद 504), या अशक्तताओं वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अन्य संघीय कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों, प्रक्रियाओं और उपचारों को प्रतिबंधित या सीमित नहीं करती, सिवाय इसके कि इन कानूनों के अंतर्गत ऐसी दीवानी कार्रवाई दायर करने से पहले जिसमें मांगी गई राहत IDEA के भाग बी के तहत भी उपलब्ध है, ऊपर वर्णित समुचित प्रक्रिया की प्रक्रियाएं उसी हद तक पूरी कर ली जानी चाहिए जो तब आवश्यक होगी यदि उस पक्ष ने IDEA के भाग बी के अंतर्गत कार्रवाई दायर की होती। इसका अर्थ है कि आपको अन्य कानूनों के तहत ऐसे उपचार उपलब्ध हो सकते हैं जो IDEA के तहत उपलब्ध उपचारों को आच्छादित करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर, उन कानूनों के तहत राहत पाने के लिए, आपको सीधे न्यायालय में जाने से पहले IDEA के तहत उपलब्ध प्रशासकीय उपचारों (यानी, समुचित प्रक्रिया शिकायत समाधान बैठक, और निष्पक्ष समुचित प्रक्रिया सुनवाई की प्रक्रियाएं) का प्रयोग करना चाहिए।

समुचित प्रक्रिया शिकायत और सुनवाई के लंबित रहने के दौरान बच्चे का स्कूल बदलना

34 CFR §300.518

नीचे ***अशक्त बच्चों को अनुशासित करते समय की प्रक्रियाएं*** शीर्षक के अंतर्गत दी गई बातों को छोड़कर, समाधान प्रक्रिया समय अवधि के दौरान, और किसी भी निष्पक्ष समुचित प्रक्रिया सुनवाई या न्यायालय की कार्रवाई के निर्णय का इंतजार करने के दौरान, जब तक आप और राज्य या स्कूल डिस्ट्रिक्ट अन्य प्रकार से सहमत नहीं हो जाते, तब तक समुचित प्रक्रिया शिकायत को एक बार अन्य पक्ष को भेज दिए जाने पर आपका बच्चा/बच्ची अपने वर्तमान शैक्षणिक स्थल पर ही बना रहेगा/बनी रहेगी।

यदि समुचित प्रक्रिया शिकायत में पब्लिक स्कूल के आरंभिक दाखिले के लिए कोई आवेदन शामिल है, तो जब तक इस तरह की समस्त कार्रवाइयां समाप्त नहीं हो जातीं तब तक आपके बच्चे को, आपकी सहमति से, नियमित पब्लिक स्कूल कार्यक्रम में दाखिल करा दिया जाएगा।

यदि समुचित प्रक्रिया शिकायत में IDEA के भाग सी के अंतर्गत प्राप्त कर रहे सेवा से IDEA के भाग बी में संक्रमित होने वाले किसी बच्चे के लिए, जो तीन वर्ष का हो जाने की वजह से भाग सी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं रह गया है, IDEA के भाग बी के अंतर्गत आरंभिक सेवाओं के लिए कोई आवेदन निहित है, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए भाग सी की सेवाएं प्राप्त कर रहे बच्चे को यह सेवाएं प्रदान करना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चा IDEA के भाग बी के अंतर्गत योग्य पाया जाता है और आप बच्चे द्वारा पहली बार विशेष प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, तो, कार्रवाइयों के नतीजे को लंबित रखते हुए, स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऐसी विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा जो विवाद में शामिल नहीं हैं (जिन पर आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट दोनों ही सहमत हैं)।

यदि राजकीय शैक्षणिक एजेंसी द्वारा आयोजित समुचित प्रक्रिया सुनवाई में सुनवाई अधिकारी आपसे सहमत है कि स्कूल का बदलाव उचित है तो उस बदलाव को आपके बच्चे के वर्तमान शैक्षणिक बदलाव के रूप में समझा जाना जरूरी है जबकि आपका बच्चा किसी निष्पक्ष समुचित प्रक्रिया सुनवाई अथवा अदालती कार्यवाही का निर्णय आने तक प्रतिक्षा करेगा।

वकीलों के शुल्क

34 CFR §300.517

सामान्य

IDEA के भाग बी के तहत दायर की गई किसी भी कार्रवाई या मामले में, यदि आप जीतते हैं, तो न्यायालय अपने विवेकानुसार, खर्चों के एक भाग के तौर पर आपको वकीलों के तर्कसंगत शुल्क भुगतान किए जाने का आदेश दे सकता है।

IDEA के भाग बी के तहत दायर की गई किसी कार्रवाई या मामले में, न्यायालय अपने विवेकानुसार, खर्चों के एक भाग के तौर पर जीतने वाले राजकीय शैक्षणिक एजेंसी या स्कूल डिस्ट्रिक्ट को वकीलों के तर्कसंगत शुल्क का भुगतान किए जाने का आदेश दे सकता है, जिसका भुगतान आपके वकील द्वारा किया जाएगा, यदि वह वकील : (क) कोई ऐसी शिकायत या मुकदमा दर्ज कराता है जिसे न्यायालय निरर्थक, अतर्कसंगत, या निराधार मानता है; <u>या</u> (ख) मुकदमा स्पष्टतः निरर्थक, अतर्कसंगत, या निराधार हो जाने के बाद भी कानूनी कार्रवाई जारी रखता है; <u>या</u>

IDEA के भाग बी के तहत दायर की गई किसी कार्रवाई या मामले में, न्यायालय, अपने विवेकानुसार, खर्चों के एक भाग के तौर पर जीतने वाले राजकीय शैक्षणिक एजेंसी या स्कूल डिस्ट्रिक्ट को वकीलों के तर्कसंगत शुल्क का भुगतान किए जाने का आदेश दे सकता है, जिसका भुगतान आप या आपके वकील को करना होगा, यदि समुचित प्रक्रिया सुनवाई या बाद में कानूनी मुकदमे के लिए आपके अनुरोध को

किसी अनुचित उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किया गया हो, जैसे कि परेशान करना, अनावश्यक विलंब करना, या कार्रवाई या मामले के खर्चे को अनावश्यक रूप से बढ़ाना।

शुल्कों के भुगतान का आदेश

कोई न्यायालय निम्नलिखित ढंग से वकीलों के तर्कसंगत शुल्कों के भुगतान का आदेश दे सकता है :

1. शुल्क उस समुदाय, जहां वह कार्रवाई या मामले की सुनवाई शुरू हुई, में की गई सेवाओं के प्रकार एवं गुणवत्ता के लिए प्रचलित दरों पर आधारित होने चाहिए। शुल्कों के भुगतान के आदेश की गणना करने में किसी बोनस या गुणक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
2. समझौते के लिखित प्रस्ताव के बाद दी गई सेवाओं के लिए IDEA के भाग बी के तहत किसी कार्रवाई या मामले में शुल्कों के भुगतान का आदेश नहीं दिया जा सकता और संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती यदि :
   क. प्रस्ताव दीवानी प्रक्रिया के संघीय नियमों के नियम 68 द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर किया गया हो, या समुचित प्रक्रिया सुनवाई अथवा राज्य-स्तरीय समीक्षा के मामले में, कार्रवाई शुरू होने से 10 कैलेंडर दिनों से अधिक पहले किसी भी समय किया गया हो;
   ख. प्रस्ताव 10 कैलेंडर दिनों के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता है; **और**
   ग. न्यायालय या प्रशासकीय सुनवाई अधिकारी यह पाता है कि आप द्वारा अंततः प्राप्त की गई राहत आपके लिए समझौते के प्रस्ताव से अधिक अनुकूल नहीं है।
   इन प्रतिबंधों के बावजूद, आपको वकीलों के शुल्क तथा संबंधित खर्चों के भुगतान का आदेश दिया जा सकता है यदि आप जीतते हैं और आपने पर्याप्त उचित आधारों पर समझौते के प्रस्ताव को खारिज किया था।
3. वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम (आईईपी) टीम की किसी बैठक से संबंधित शुल्कों के भुगतान का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि बैठक किसी प्रशासकीय कार्यवाही या न्यायालयी कार्रवाई के परिणामस्वरूप न हुई हो।
   समाधान प्रक्रिया शीर्षक के तहत वर्णित ढंग से समाधान बैठक को प्रशासकीय सुनवाई या न्यायालयी कार्रवाई के परिणामस्वरूप आयोजित बैठक नहीं माना जाता, और वकीलों के शुल्कों के इन प्रावधानों के उद्देश्य के लिए भी इसे प्रशासकीय सुनवाई या न्यायालयी कार्रवाई नहीं माना जाता।

न्यायालय IDEA के भाग बी के अंतर्गत वकीलों के शुल्कों की राशि को उपयुक्त प्रकार से कम कर सकता है, यदि न्यायालय यह पाता है कि :

1. आप या आपके वकील ने, कार्रवाई या सुनवाई के दौरान विवाद के अंतिम समाधान को अतर्कसंगत ढंग से विलंबित किया;

2. अन्य स्थितियों में भुगतान के लिए आदेशित किए जाने वाले वकीलों के शुल्क तर्कसंगत रूप से समान कौशल, प्रतिष्ठा और अनुभव वाले वकीलों द्वारा समान सेवाओं के लिए समुदाय में प्रचलित प्रति घंटा दर से अतर्कसंगत रूप से अधिक हैं;
3. व्यय हुआ समय और दी गई कानूनी सेवाएं कार्रवाई या सुनवाई की प्रकृति को देखते हुए अत्यधिक थीं; या
4. आपका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने स्कूल डिस्ट्रिक्ट को समुचित प्रक्रिया अनुरोध सूचना में ***समुचित प्रक्रिया शिकायत*** शीर्षक के तहत वर्णित ढंग से उपयुक्त सूचना नहीं प्रदान की।

लेकिन, न्यायालय शुल्कों में कमी नहीं कर सकता है यदि न्यायालय यह पाता है कि राज्य या स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने कार्रवाई या सुनवाई के अंतिम समाधान को अतर्कपरक रूप से विलंबित किया या IDEA के भाग बी के प्रक्रियागत सुरक्षात्मक प्रावधानों के तहत कोई उल्लंघन किया गया।

अशक्तताओं वाले बच्चों को अनुशासित करने के समय प्रक्रियाएं

स्कूल कर्मचारियों के अधिकार

34 CFR §300.530

प्रत्येक मामले के अनुसार निर्धारण

स्कूल के कर्मचारी यह निर्धारित करते समय किसी भी अनूठी परिस्थिति पर प्रत्येक मामले के अनुसार विचार कर सकते हैं कि अनुशासन के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल बदलना ऐसे अशक्तता वाले बच्चे के लिए उपयुक्त है या नहीं जिसने स्कूल की विद्यार्थी आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

सामान्य

जब तक वे अशक्तताओं के बिना बच्चों के विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई करते हैं, तब तक स्कूल के कर्मचारी लगातार अधिकतम 10 **स्कूल दिवसों** तक, विद्यार्थी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर अशक्तता वाले किसी बच्चे को उसके वर्तमान स्कूल से हटाकर किसी उपयुक्त अस्थाई वैकल्पिक शैक्षणिक परिवेश में, किसी अन्य परिवेश में, या निलंबन में रख सकते हैं। स्कूल कर्मचारी उसी स्कूली वर्ष में गलत आचरण की घटनाओं के लिए बच्चे को अधिकतम 10 **स्कूल दिवसों** के लिए अतिरिक्त रूप से निष्कासित करने का दंड दे सकते हैं, जब तक कि ये निष्कासन स्कूल में परिवर्तन न हों। (परिभाषा के लिए, नीचे ***अनुशासनात्मक निष्कासनों की वजह से स्कूल में परिवर्तन*** देखें)।

अशक्तता वाले किसी बच्चे को एक ही स्कूल वर्ष में कुल 10 **स्कूल दिवसों** के लिए एक बार अपने वर्तमान स्कूल से निष्कासित कर दूसरी जगह भेज दिए जाने पर, स्कूल डिस्ट्रिक्ट को, उस स्कूल वर्ष में किन्हीं भी अगले दिनों के दौरान, नीचे ***सेवाएं*** उपशीर्षक के अंतर्गत आवश्यक सीमा तक सेवाएं प्रदान करनी होंगी।

अतिरिक्त अधिकार

यदि विद्यार्थी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला आचरण बच्चे की अशक्तता की अभिव्यक्ति नहीं था (नीचे देखें ***अभिव्यक्ति का निर्धारण***) और अनुशासनिक आधार पर किया गया स्कूल में परिवर्तन लगातार **10 स्कूल दिवस** से अधिक होगा, तो स्कूल के कर्मचारी अशक्तता वाले उस बच्चे पर अनुशासनिक कार्रवाई उसी ढंग से और उसी अवधि के लिए लागू कर सकते हैं जिस समय और अवधि के लिए वे बिना अशक्तताओं वाले बच्चों पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि स्कूल को उस बच्चे को नीचे ***सेवाएं*** के तहत वर्णित सेवाएं प्रदान करनी होंगी। बच्चे की आईईपी टीम ऐसी सेवाओं के लिए अस्थाई वैकल्पिक शैक्षणिक परिवेश का निर्धारण करेगी।

सेवाएं

बच्चे के वर्तमान परिवेश से हटाए गए अशक्तता वाले बच्चे को अवश्य प्रदान की जाने वाली सेवाएं अस्थाई वैकल्पिक शैक्षणिक परिवेश में प्रदान की जानी चाहिए।

स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए केवल तभी उस स्कूली वर्ष में **10 या कम स्कूल दिवसों** के लिए उसके वर्तमान स्कूल से निष्कासित अशक्तता वाले बच्चे को सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है, यदि वह इसी प्रकार निष्कासित बिना अशक्तताओं वाले बच्चों को सेवाएं प्रदान करता है।

बच्चे के वर्तमान स्कूल से 10 **स्कूल दिवसों से अधिक** के लिए निष्कासित अशक्तता वाले बच्चे और आचरण बच्चे की अशक्तता की अभिव्यक्ति नहीं है (***अभिव्यक्ति का निर्धारण*** उपशीर्षक देखें) अथवा जिसे विशेष परिस्थितयों (***विशेष परिस्थितयां*** उपशीर्षक देखें) में निष्कासित किया गया है को :

1. शैक्षणिक सेवाएं (निःशुल्क अनुकूल सार्वजनिक शिक्षा उपलब्ध) मिलती रहनी चाहिए, ताकि बच्चा, हालांकि एक भिन्न परिवेश में (जोकि अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक परिवेश हो सकता है), सामान्य शिक्षा पाठयक्रम में भाग लेता रह सके, और बच्चे के आईईपी में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति करता रह सके; **<u>और</u>**
2. उपयुक्त प्रकार से एक कार्यात्मक आचरण आकलन, और आचरण हस्तक्षेप सेवाएं तथा संशोधन प्राप्त करे, जिन्हें आचरण संबंधी उल्लंघन को इस प्रकार संबोधित करने के लिए बनाया गया है ताकि ऐसा दुबारा न हो।

अशक्तता वाले किसी बच्चे को उसी स्कूली वर्ष में उसके वर्तमान स्कूल से 10 **स्कूल दिवसों** के लिए निष्कासित किए जाने के बाद, और **<u>यदि</u>** वर्तमान निष्कासन लगातार 10 **स्कूल दिवसों** या कम के लिए है **और** यदि निष्कासन स्कूल में परिवर्तन (नीचे परिभाषा देखें) नहीं है, **<u>तो</u>** स्कूल कर्मचारी बच्चे के कम

से कम एक शिक्षक से परामर्श करके यह तय करेंगे कि बच्चे को किस सीमा तक सेवाएं देने की आवश्यकता है ताकि वह सामान्य शिक्षा पाठयक्रम में भागीदारी करता रह सके, हालांकि एक भिन्न परिवेश में, और बच्चे के आईईपी में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति करता रह सके।

यदि निष्कासन स्कूल में परिवर्तन है (नीचे **अनुशासनिक निष्कासनों के कारण स्कूल में परिवर्तन** शीर्षक देखें), तो बच्चे की आईईपी टीम यह निर्धारित करती है कि बच्चे को कौन-सी उपयुक्त सेवाएं देने की आवश्यकता है ताकि वह सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में भागीदारी करता रह सके, हालांकि एक भिन्न परिवेश में (जोकि अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक परिवेश हो सकता है), और बच्चे के आईईपी में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति करता रह सके।

अभिव्यक्ति का निर्धारण

विद्यार्थी आचार संहिता के उल्लंघन (ऐसे निष्कासन के अतिरिक्त जो लगातार **10 स्कूल दिवसों** या कम के लिए है तथा स्कूल में परिवर्तन नहीं है) के कारण अशक्तता वाले किसी बच्चे के स्कूल में परिवर्तन के किसी निर्णय के **10 स्कूल दिवसों** के भीतर, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, आप, और आईईपी टीम के अन्य प्रासंगिक सदस्यों (आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा निर्धारित) को विद्यार्थी की फाइल में सभी संबंधित सूचनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, जिसमें बच्चे की आईईपी, शिक्षकों का कोई प्रेक्षण, और आपके द्वारा प्रदान की गई कोई भी प्रासंगिक सूचना शामिल है, ताकि तय किया जा सके कि :

1. क्या प्रश्नगत आचरण बच्चे की अशक्तता के कारण हुआ, या इससे सीधे और महत्वपूर्ण रूप से संबंधित था; <u>**या**</u>
2. क्या प्रश्नगत आचरण बच्चे की आईईपी को लागू करने में स्कूल डिस्ट्रिक्ट की असफलता का सीधा परिणाम था।

यदि स्कूल डिस्ट्रिक्ट, आप, और बच्चे की आईईपी टीम के प्रासंगिक सदस्य तय करते हैं कि इनमें से कोई भी शर्त पूरी हुई है, तो उस आचरण को बच्चे की अशक्तता की एक अभिव्यक्ति माना जाए।

यदि स्कूल डिस्ट्रिक्ट, आप, और बच्चे की आईईपी टीम के प्रासंगिक सदस्य तय करते हैं कि प्रश्नगत आचरण आईईपी को लागू करने में स्कूल डिस्ट्रिक्ट की असफलता का सीधा परिणाम था, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट को उन कमियों का उपचार करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

इस बात का निर्धारण कि यह आचरण बच्चे की अशक्तता की एक अभिव्यक्ति थी

यदि स्कूल डिस्ट्रिक्ट, आपके, और आईईपी टीम के प्रासंगिक सदस्यों द्वारा यह तय किया जाता है कि यह आचरण बच्चे की अशक्तता की एक अभिव्यक्ति थी, तो आईईपी टीम को निम्न में से कोई कार्य करना चाहिए :

1. एक कार्यात्मक आचरण आकलन, जबकि स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने उस आचरण के लिए पहले कोई कार्यात्मक आचरण आकलन न किया हो जिसका परिणाम स्कूल के बदले जाने के रूप में हुआ हो, और बच्चे के लिए आचरण हस्तक्षेप योजनाओं को लागू करना; **या**
2. यदि कोई आचरण हस्तक्षेप योजना पहले ही विकसित कर ली गई है, तो आचरण को संबोधित करने के लिए आचरण हस्तक्षेप योजना की समीक्षा करना, और, आवश्यकतानुसार, इसे संशोधित करना।

नीचे ***विशेष परिस्थितियां*** उपशीर्षक के अंतर्गत किए गए वर्णन को छोड़कर, स्कूल डिस्ट्रिक्ट को बच्चे को उस स्कूल में वापस लेना होगा जिससे बच्चे को निष्कासित किया गया था, जब तक कि आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट में किए परिवर्तन को आचरण हस्तक्षेप योजना के एक भाग के रूप में स्वीकार करने को सहमत न हों।

विशेष परिस्थितियां

आचरण चाहे बच्चे की अशक्तता की अभिव्यक्ति रही हो या नहीं, पर स्कूल के कर्मचारी किसी विद्यार्थी को उस स्थिति में एक अस्थाई वैकल्पिक शैक्षणिक परिवेश (बच्चे की आईईपी टीम द्वारा किए गए निर्धारण से) से 45 स्कूल दिनों के लिए निष्कासित कर सकते हैं, यदि :

1. वह राजकीय शैक्षणिक एजेंसी या किसी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत अपने साथ कोई हथियार (नीचे परिभाषा देखें) लाता हो या स्कूल में, स्कूल परिसर में, या स्कूल के समारोह के मौके पर कोई हथियार रखता हो;
2. वह राजकीय शैक्षणिक एजेंसी या किसी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल में, स्कूल परिसर में, या स्कूल के किसी समारोह के मौके पर जान-बूझकर अवैध नशीली दवाएं (नीचे परिभाषा देखें) अपने पास रखता हो या उनका प्रयोग करता हो, या किसी नियंत्रित पदार्थ (नीचे परिभाषा देखें) की बिक्री करता हो या बिक्री का प्रचार करता हो; **या**
3. उसने राजकीय शैक्षणिक एजेंसी या किसी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल में, स्कूल परिसर में, या स्कूल के किसी समारोह के मौके पर किसी अन्य व्यक्ति पर गंभीर शारीरिक प्रहार (नीचे परिभाषा देखें) किया हो।

परिभाषाएं

नियंत्रित पदार्थ का अर्थ किसी ऐसी नशीली दवा या अन्य पदार्थ से है जिसे नियंत्रित पदार्थ अधिनियम (21 U.S.C. 812(c)) के अनुच्छेद 202(c) में अनुसूचियों I] II] III] IV, या V के अंतर्गत चिन्हित किया गया हो।

अवैध नशीली दवा का अर्थ एक नियंत्रित पदार्थ है; लेकिन इसमें कानूनी ढंग से रखने या लाइसेंसशुदा स्वास्थ्य देखरेख करने वाले पेशेवर कर्मी के पर्यवेक्षण में प्रयोग करने, या कानूनी ढंग से रखने, या किसी

अन्य अधिकारी या उस अधिनियम या संघीय विधान के किसी भी अन्य प्रावधान के मातहत प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रित पदार्थ शामिल नहीं होते।

गंभीर शारीरिक चोट का अर्थ अमेरिकी संविधान के शीर्षक 18 के अनुच्छेद 1365 के उपअनुच्छेद (h) के पैराग्राफ (3) के अंतर्गत दिए पद "गंभीर शारीरिक चोट" से है।

हथियार का अर्थ अमेरिकी संविधान के शीर्षक 18 के अनुच्छेद 930 के प्रथम उपअनुच्छेद (g) के पैराग्राफ (2) के अंतर्गत दिए "खतरनाक हथियारों" से है।

अधिसूचना

जिस तिथि पर यह विद्यार्थी आचार संहिता के उल्लंघन के कारण बच्चे का ऐसा निष्कासन करने का निर्णय लेता है जो कि स्कूल का परिवर्तन है, स्कूल जिले को आपको निर्णय की सूचना देनी होगी, और आपको प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रावधानों की सूचना देनी होगी।

अनुशासनिक निष्कासनों के कारण स्कूल में परिवर्तन

34 CFR §300.536

अशक्तता वाले आपके बच्चे का आपके बच्चे के वर्तमान शैक्षणिक स्कूल से निष्कासन एक **स्कूल में परिवर्तन** है यदि :

1. निष्कासन लगातार 10 स्कूल दिवसों से अधिक के लिए है; <u>**या**</u>
2. आपके बच्चे को निष्कासनों की एक शृंखला का भागी बनाया गया है जिनका एक प्रतिमान है क्योंकि :
   - क. निष्कासनों की शृंखला का कुल योग एक स्कूल वर्ष में 10 स्कूल दिवसों से अधिक है;
   - ख. आपके बच्चे का आचरण काफी हद तक उन पिछली घटनाओं में बच्चे के आचरण जैसा ही है जिनके परिणामस्वरूप निष्कासनों की शृंखला हुई;
   - ग. ऐसे अतिरिक्त कारक जैसे कि प्रत्येक निष्कासन की लंबाई, बच्चे के निष्कासन का कुल समय, और एक निष्कासन से दूसरे निष्कासन की नजदीकी।

निष्कासनों का कोई प्रतिमान स्कूल में परिवर्तन है या नहीं यह स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर निर्धारित किया जाता है और, यदि इसे चुनौती दी जाती है, तो समुचित प्रक्रिया तथा न्यायिक सुनवाइयों के जरिए इसकी समीक्षा की जा सकती है।

परिवेश का निर्धारण

34 CFR § 300.531

वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम (आईईपी) टीम को उन निष्कासनों के लिए जो **स्कूल में परिवर्तन** हैं, तथा उपशीर्षकों ***अतिरिक्त अधिकार*** तथा ***विशेष परिस्थितियां*** के अंतर्गत निष्कासन हैं, के लिए अस्थाई वैकल्पिक शैक्षणिक परिवेश का निर्धारण करती है।

अपील

34 CFR § 300.532

सामान्य

आप समुचित प्रक्रिया सुनवाई का अनुरोध करने के लिए समुचित प्रक्रिया शिकायत (शीर्षक ***समुचित प्रक्रिया शिकायत प्रक्रियाएं*** देखें) दर्ज करा सकते हैं, यदि आप निम्नलिखित से असहमत हैं :

1. इन अनुशासनिक प्रावधानों के तहत स्कूल में परिवर्तन के संबंध में किया गया कोई भी निर्णय; **<u>या</u>**
2. ऊपर वर्णित अभिव्यक्ति निर्धारण।

स्कूल डिस्ट्रिक्ट समुचित प्रक्रिया सुनवाई के अनुरोध के लिए समुचित प्रक्रिया शिकायत (ऊपर देखें) दर्ज करा सकता है यदि उसका मानना है कि बच्चे का वर्तमान स्कूल बनाए रखने के परिणामस्वरूप बच्चे को या दूसरों को चोट पहुंचने की काफी संभावना है।

सुनवाई अधिकारी के अधिकार

उप-शीर्षक ***निष्पक्ष सुनवाई अधिकारी*** के तहत वर्णित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सुनवाई अधिकारी को समुचित प्रक्रिया सुनवाई का संचालन करके निर्णय देना चाहिए। सुनवाई अधिकारी :

1. अशक्तता वाले आपके बच्चे को उस स्कूल में वापस भेज सकता है जहां से आपके बच्चे को निष्कासित किया गया था यदि सुनवाई अधिकारी यह तय करता है कि निष्कासन ***स्कूल कर्मचारियों के अधिकार*** शीर्षक के तहत वर्णित आवश्यकताओं का उल्लंघन था, या आपके बच्चे का आचरण आपके बच्चे की अशक्तता की एक अभिव्यक्ति था; **<u>या</u>**
2. अशक्तता वाले आपके बच्चे के स्कूल में परिवर्तन कर अधिकतम 45 स्कूल दिवसों तक किसी उपयुक्त अस्थाई वैकल्पिक शैक्षणिक परिवेश में भेजने का आदेश दे सकता है यदि सुनवाई

अधिकारी यह तय करता है कि आपके बच्चे के वर्तमान स्कूल के परिणामस्वरूप आपके बच्चे या दूसरों को चोट पहुंचने की काफी संभावना है।

यदि स्कूल जिले का मानना है कि आपके बच्चे को मूल स्कूल में वापस भेजने के परिणामस्वरूप आपके बच्चे या दूसरों को चोट पहुंचने की काफी संभावना है तो इन सुनवाई प्रक्रियाओं को दोहराया जा सकता है।

जब भी आप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऐसी सुनवाई के अनुरोध के लिए समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज कराते हैं, तो सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए जो शीर्षकों ***समुचित प्रक्रिया शिकायत प्रक्रियाएं, समुचित प्रक्रिया शिकायतों पर सुनवाई*** के तहत वर्णित आवश्यकताओं को पूरा करती है, सिवाय निम्नलिखित के :

1. राजकीय शैक्षणिक एजेंसी या स्कूल डिस्ट्रिक्ट को त्वरित समुचित प्रक्रिया सुनवाई की व्यवस्था करनी चाहिए, जो सुनवाई के अनुरोध की तिथि के 20 स्कूल दिवसों के भीतर हो और इसके परिणामस्वरूप सुनवाई के बाद 10 स्कूल दिवसों के भीतर निर्धारण हो जाए।
2. जब तक कि आप और स्कूल डिस्ट्रिक्ट बैठक न करने के लिए लिखित रूप में सहमत न हो जाएं, या मध्यस्थता के लिए सहमत न हों, तब तक समुचित प्रक्रिया सुनवाई की सूचना प्राप्त करने के सात कैलेंडर दिनों के भीतर समाधान बैठक होनी चाहिए। समुचित प्रक्रिया शिकायत प्राप्त होने के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर सुनवाई शुरू होनी चाहिए बशर्ते कि दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक रूप से मामले का समाधान न कर लिया गया हो।
3. कोई राज्य त्वरित समुचित प्रक्रिया सुनवाइयों के लिए अन्य समुचित प्रक्रिया सुनवाइयों हेतु इसके द्वारा स्थापित प्रक्रियागत नियमों से भिन्न प्रक्रियागत नियम स्थापित कर सकता है, लेकिन समय-सीमा के अतिरिक्त, उन नियमों को इस दस्तावेज में समुचित प्रक्रिया सुनवाइयों के नियमों के साथ संगत होना चाहिए।

आप अथवा स्कूल डिस्ट्रिक्ट त्वरित समुचित प्रक्रिया सुनवाई में किए गए निर्णय के विरुद्ध उसी प्रकार से अपील कर सकते हैं जिस प्रकार वे अन्य समुचित प्रक्रिया सुनवाइयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील करेंगे (ऊपर देखें ***अपीलें***)।

अपीलों के दौरान स्कूल का परिवर्तन

34 CFR §300.533

जब, ऊपर वर्णित ढंग से, आपने या स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने अनुशासनिक मामलों के संबंध में समुचित प्रक्रिया शिकायत दर्ज कराई हो, तो आपके बच्चे को (जब तक कि आप और राजकीय शैक्षणिक एजेंसी या स्कूल डिस्ट्रिक्ट अन्य प्रकार से सहमत न हों) सुनवाई अधिकारी के निर्णय तक, या शीर्षक ***स्कूल***

कर्मचारियों के अधिकार के अंतर्गत किए प्रावधानों तथा वर्णित ढंग से निष्कासन की समयावधि पूरी होने तक, जो भी पहले हो, अस्थाई वैकल्पिक शैक्षणिक परिवेश में रहना चाहिए।

अब तक विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के लिए योग्य न होने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा

34 CFR §300.534

सामान्य

यदि आपके बच्चे को विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं के लिए योग्य नहीं निर्धारित किया गया है और वह विद्यार्थी आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लेकिन स्कूल डिस्ट्रिक्ट को अनुशासनिक कार्रवाई का आधार बनने वाले आचरण के घटित होने से पहले यह जानकारी थी (जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है), कि आपका बच्चा अशक्तताओं वाला बच्चा है, तो आपका बच्चा इस सूचना में वर्णित किसी भी सुरक्षा की मांग कर सकता है।

अनुशासनिक मामलों के लिए जानकारी का आधार

किसी स्कूल डिस्ट्रिक्ट को ऐसी स्थिति में यह जानकारी प्राप्त होना माना जाएगा कि आपका बच्चा अशक्तताओं वाला बच्चा है यदि, अनुशासनिक कार्रवाई का आधार बनने वाला आचरण घटित होने से पहले :

1. आपने उपयुक्त शैक्षणिक एजेंसी के पर्यवेक्षण या प्रशासकीय कर्मचारियों से, या अपने बच्चे के शिक्षक से लिखित रूप में यह चिंता व्यक्त की थी कि आपके बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है;
2. आपने IDEA के भाग बी के अंतर्गत विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की योग्यता के संबंध में मूल्यांकन का अनुरोध किया था; **या**
3. आपके बच्चे के शिक्षक या स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अन्य कर्मचारियों ने बच्चे द्वारा प्रदर्शित आचरण के किसी ढर्रे के बारे में सीधे स्कूल डिस्ट्रिक्ट के विशेष शिक्षा निदेशक से या स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अन्य पर्यवेक्षण कर्मचारियों से चिंता व्यक्त की थी।

अपवाद

स्कूल डिस्ट्रिक्ट को यह जानकारी नहीं होना माना जाएगा यदि :

1. आपने बच्चे के मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी है या विशेष शिक्षा सेवाओं से इंकार किया है; **या**

2. आपके बच्चे का मूल्यांकन किया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि वह IDEA के भाग बी के अंतर्गत अशक्तता वाला बच्चा नहीं है।

यदि जानकारी का कोई आधार नहीं है तो लागू होने वाली शर्तें

यदि आपके बच्चे के विरुद्ध अनुशासनिक उपाय अपनाने से पहले, किसी स्कूल जिले को यह जानकारी नहीं है कि वह आपका बच्चा अशक्तताओं वाला बच्चा है, जैसा कि ऊपर उप-शीर्षकों ***अनुशासनिक मामलों के लिए जानकारी का आधार*** और ***अपवाद*** में वर्णन किया गया है, तो आपके बच्चे पर ऐसे अनुशासनिक उपाय लागू किए जा सकते हैं जो तुलनीय आचरणों में संलग्न बिना अशक्तताओं वाले बच्चों पर लागू होते हैं।

लेकिन, यदि जिस समयावधि में आपके बच्चे पर अनुशासनिक उपाय लागू किए गए हैं उस दौरान आपके बच्चे के मूल्यांकन का अनुरोध किया जाता है, तो मूल्यांकन त्वरित ढंग से किया जाना चाहिए।

जब तक मूल्यांकन पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपके बच्चे को स्कूल अधिकारियों द्वारा निर्धारित शैक्षणिक परिवेश में रहना चाहिए, जिसमें शैक्षणिक सेवाओं के बिना निलंबन या निष्कासन शामिल है।

यदि आपके बच्चे को, स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा संचालित मूल्यांकन से प्राप्त सूचना और आपके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अशक्तता वाला बच्चा निर्धारित किया जाता है, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट को IDEA के भाग बी के अनुसार विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, जिनमें ऊपर वर्णित अनुशासनिक आवश्यकताएं शामिल हैं।

कानून प्रवर्तन तथा कानूनी अधिकारियों के समक्ष मामले को पेश करना और उनके द्वारा उठाए गए कदम

34 CFR §300.535

IDEA के भाग बी में यह नहीं कहा गया है कि:

1. एजेंसी किसी अशक्त बच्चे द्वारा किए गए अपराध की रिपोर्ट उपयुक्त अधिकारियों को न करे; **<u>या</u>**
2. राजकीय कानून प्रवर्तन अधिकारी किसी अशक्त बच्चे द्वारा अपराध किए जाने पर संघीय तथा राजकीय कानून को लागू करने में अपनी ज़िम्मेवारियों को न निभाएं।

अभिलेखों का प्रेषण

यदि स्कूल डिस्ट्रिक्ट किसी अशक्त बच्चे द्वारा किए गए अपराध के बारे में रिपोर्ट दर्ज करता है, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट को:

1. यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे के विशेष शिक्षा और अनुशासन संबंधी अभिलेख केवल उन अधिकारियों के पास भेजे जाएं जिनके समक्ष एजेंसी ने अपराध की रिपोर्ट दर्ज की; **और**
2. बच्चे की विशेष शिक्षा और अनुशासन संबंधी अभिलेखों की केवल वही प्रतियां भेजने की अनुमति है जिनका भेजना पारिवारिक शैक्षणिक अधिकारों और निजता अधिनियम (एफईआरपीए) के अधीन अधीकृत है।

सार्वजनिक खर्च पर बच्चे को एकपक्षीय रूप से माता-पिता द्वारा प्राइवेट स्कूल में भेजे जाने की आवश्यकताएं

सामान्य

34 CFR §300.148

IDEA के भाग बी में स्कूल डिस्ट्रिक्ट पर यह आवश्यकता नहीं डाली गई है कि वह किसी प्राईवेट स्कूल या संस्था में आपके अशक्त बच्चे की शिक्षा, जिसमें विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं भी शामिल हैं, का आर्थिक बोझ उठाए, अगर स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने आपके बच्चे को उपयुक्त नि:शुल्क सार्वजनिक शिक्षा (एफएपीई) उपलब्ध कराई है पर इसके बावजूद, आप अपने बच्चे को किसी प्राईवेट स्कूल या संस्था में डालना चाहते हैं। दरअसल, जिस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में वह प्राइवेट स्कूल स्थित है, उस स्कूल डिस्ट्रिक्ट को आवश्यक है कि वह आपके बच्चे का नाम भाग बी में संबोधित जनसंख्या सूची में शामिल करे। यहां हम उन बच्चों के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं जिनके अभिभावकों ने उन्हें 34 CFR §§300.131 से लेकर 300.144 के प्रबंधों के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में डाला है।

प्राइवेट स्कूल में डालने की प्रतिपूर्ति

यदि इससे पहले आपके बच्चे को किसी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के प्राधिकार में विशेष शिक्षा और अन्य संबंधित सेवाएं मिला करती थीं, और आप, स्कूल डिस्ट्रिक्ट की संस्तुति या सहमति के अभाव में अपने बच्चे का नाम किसी प्राइवेट प्रीस्कूल, प्राथमिक स्कूल या माध्यमिक स्कूल में लिखवा देते हैं, तो यह संभव है कि कोई न्यायालय या सुनवाई अधिकारी इस दाखिले के लिए एजेंसी को प्रतिपूर्ति के खर्च देने पर बाध्य करे, अगर न्यायालय या सुनवाई अधिकारी ने पाया कि एजेंसी ने इस दाखिले से पहले ठीक समय पर आपके बच्चे को उपयुक्त नि:शुल्क सार्वजनिक शिक्षा (एफएपीई) उपलब्ध नहीं कराई और यह, कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना उचित था। यह संभव है कि न्यायालय या सुनवाई अधिकारी आप द्वारा किए गए

दाखिले को उचित समझे, ऐसी परिस्थिति में भी जब वह दाखिला राजकीय शैक्षणिक एजेंसी तथा स्कूल डिस्ट्रिक्टों पर लागू किए जाने वाले शैक्षणिक मानदंडों की आवश्यकताओं की आपूर्ति न कर सके।

प्रतिपूर्ति की सीमाएं

उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित प्रतिपूर्ति के खर्च कम या इंकार किए जा सकते हैं:

1. यदि: (क) अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल से हटाने से पहले आपने सबसे हाल वाली वैयक्तिक शिक्षण (आईईपी) बैठक में आईईपी टीम को यह नहीं बता दिया कि आप स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा आपके बच्चे के लिए प्रस्तावित एफएपीई की व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस बैठक में अपनी चिंताओं को प्रकट नहीं किया, और यह नहीं बताया कि आप अपने बच्चे को सार्वजनिक खर्च पर प्राइवेट स्कूल भेजने के बारे में सोच रहे हैं; या (ख) अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल से हटाने से कम के कम 10 कार्य दिवस (इसमें कार्य दिवस पर घटने वाली छुट्टियां भी शामिल होंगी) पहले आपने इस जानकारी की लिखित सूचना स्कूल डिस्ट्रिक्ट को नहीं दी;
2. यदि, अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में से हटाने से पहले, स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने आपको एक लिखित सूचना दी हो, जिसमें उसने आपके बच्चे का मूल्यांकन करने का इरादा व्यक्त किया हो (इस संदर्भ में मूल्यांकन का लक्ष्य उचित और तर्कसंगत होना चाहिए), परन्तु आपने अपने बच्चे को उपलब्ध नहीं कराया; **या**
3. किसी न्यायालय ने पाया कि आपने जो किया वह अनुचित था।

फिर भी, प्रतिपूर्ति के खर्च:

1. सूचना न दिए जाने पर भी कम या मना नहीं किए जा सकते यदि: (क) स्कूल ने आपको सूचना भेजने नहीं दिया; (ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, सूचना भेजने की आपकी जिम्मेवारी के बारे में आपको कोई सूचना नहीं मिली थी; या (ग) उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन हासिल करने में आपके बच्चे को शारीरिक चोट पहुंचने की संभावना थी; **और**
2. कम या इंकार नहीं किए जा सकते यदि न्यायालय या सुनवाई अधिकारी के विवेकानुसार, माता-पिता ने आवश्यक सूचना इसलिए नहीं दी चूँकि: (क) माता-पिता अनपढ़ हैं या अंग्रज़ी में लिख नहीं सकते; या (ख) उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन हासिल करने में आपके बच्चे को गंभीर भावनात्मक चोट पहुंचने की संभावना थी।

आपके प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों के बारे में अतिरिक्त जानकारियां निम्नलिखित से संपर्क करने पर प्राप्त की जा सकती हैं:

Missouri Department of Elementary and Secondary Education
(मिज़ोरी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग)
Compliance Section (अनुपालन प्रभाग)
टेलिफ़ोन: 573-751-0699
फ़ैक्स: 573-526-5946
टीडीडी: 1-800-735-2966

Missouri Parents Act (मिज़ोरी माता-पिता अधिनियम यानि **MPACT)**
टेलिफ़ोन: 816-531-7070
फ़ैक्स: 816-531-4777
टीडीडी /स्वर: 1-800-743-7634

अगस्त 2009
मिज़ोरी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग

जान लें कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने कार्यक्रमों और क्रियाविधियों में जाति, रंग, मूल राष्ट्रीयता, लिंग, अशक्तता, या आयु के आधार पर भेद-भाव नहीं करता है। विभाग के बारे में सवाल होने पर Jefferson State Office Building, Title IX Coordinator, 5th Floor, 205 Jefferson Street, Jefferson City, MO 65102-0480 या टेलिफ़ोन नंबर 573-751-9619 पर संपर्क करें। विभाग कार्यक्रमों तथा विभाग सेवाएं, गतिविधियां, तथा सुविधाएं जो अशक्त व्यक्तियों के पहुंच में तथा प्रयोग करने योग्य हो, के बारे में सवाल होने पर Jefferson State Office Building, Civil Rights Compliance (Title VI/Title IX/504/ADA/Age Act), 5th Floor, 205 Jefferson Street, Jefferson City, Missouri 65102-0480; टेलिफ़ोन नंबर 573-526-4757 अथवा Relay Missouri (800) 735-2966 पर संपर्क करें।